# Fifteenth Lok Sabha
# VII Session (21/02/2011 to 25/03/2011)

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**सोमवार, 21 फरवरी, 2011/2 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 136**

अपराह्न 12.25 बजे

**1. राष्ट्र गान**

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

**2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

अपराह्न 12.27 बजे

**3. राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया**

महासचिव ने 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

**4. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष तथा अंतरिम संसद (1950-1952) के सदस्य तथा पहली से पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री बलीराम भगत, चौथी लोक सभा के सदस्य श्री लताफत अली खान, आठवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती प्रभावती गुप्ता, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री के. करुणाकरन, छठी लोक सभा के सदस्य श्री टी.एस. श्रंगारे के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायक और भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने इसके बाद केरल के इदुक्की जिले के वांडीपेरियार के निकट पुलमेडु में सबरीमाला की वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान भगदड़ मचने की दुखद घटना, जिसमें बच्चों सहित 102 तीर्थयात्री मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए, के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.41 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 22 *फरवरी,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—6356LS(S3)—21-02-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**मंगलवार, 22 फरवरी, 2011/3 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 137**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. मंत्रियों का परिचय**

प्रधानमंत्री ने श्री प्रफुल पटेल, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री; श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री; श्री सलमान खुर्शीद, जल संसाधन मंत्री और अतिरिक्त प्रभार, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय; श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री अश्विनी कुमार, योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों में राज्य मंत्री और श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री का परिचय कराया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य**

प्रधान मंत्री ने 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

**3. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 1—3 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**4. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

**5. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 19, 20, 22 से 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 904(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 24 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उन सभी क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे जहां उन्हें तैनात किया जाता है या कोई ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 905(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 19, धारा 22 की उपधारा (2) और धारा 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन सभी क्षेत्रों में, जहां उन्हें तैनात किया जाता है या कोई ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 जो 2 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 946(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2010 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 949(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 29 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1032(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(9) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**6. विधेयकों पर अनुमति**

महासचिव ने 10 नवम्बर, 2010 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त

निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

*1. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2010;*

*2. विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2010;*

*3. विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2010; और*

*4. विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 2010.*

**7. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री यशवंत सिन्हा ने भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 31वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**8. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री विष्णुपद राय ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 148वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य**

श्री विष्णुपद राय ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

**#10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

**11. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

युवक, कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के विकास के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू करने तथा उससे संबंधित सभी विषयों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार की मंशा के बारे में वक्तव्य दिया।

**12. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

(एक) श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

---

* प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 25 जनवरी, 2011 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

#अपराह्न 4.16 बजे।

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।''

(छह) श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(*लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।*)*

अपराह्न 2.00 बजे

**13. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(1) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप के द्वीपों और निकोबार द्वीपसमूहों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिए जाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एंटो एंटोनी द्वारा रेलगाड़ियों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत किए जाने तथा उन्हें निर्धारित समय के अनुसार चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰ सुधाकरण द्वारा देश में सीमेंट के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली–चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन आदिवासियों, जिन्हें जमीन आवंटित की गई है, को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक केन्द्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित खादी भवनों का नवीकरण करने तथा दक्षिण क्षेत्र में कार्य कर रहे ट्रेडिंग स्टाफ की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में एक वैगन फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री के॰ डी॰ देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य में नशामुक्ति–सह–पुनर्वास केन्द्र खोले जाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किए जाने तथा उक्त उद्देश्य के लिए केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हल्के और भारी डयूटी क्रेन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–3 के इन्दौर–देवास बाईपास को छह लेन वाला बनाए जाने तक इस पर टोल टैक्स के उद्ग्रहण को आस्थगित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में पटना सहरसा वाया सुपौल के बीच रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हुई कथित ज्यादतियों से रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) एडवोकेट ए० सम्पत द्वारा देश के स्कूलों में मातृभाषा में विशेषकर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण सुनिश्चित कराने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर द्वारा वन्य जीव संरक्षण कानून को मजबूत बनाए जाने तथा जंगली जानवरों की शिकारियों से रक्षा के लिए इसका प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री रमेश राठौड़ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में आदिलाबाद की सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत छपरा और गोपालगंज के बीच चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

**14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

| | | |
|---|---|---|
| कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय | : | 8 घंटे |
| लिया गया समय | : | 3 घंटे 59 मिनट |
| शेष | : | 4 घंटे 01 मिनट |

श्री पी०सी चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

**अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों जैसा कि आपको विदित है, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों को प्रस्ताव के समर्थक द्वारा अपना

भाषण समाप्त किए जाने के पश्चात् पेश किए जाते हैं। संशोधनों को पेश करने के बारे में एक घोषणा भी उस समय की जाती है।

तथापि, यह ध्यान में आया है कि सभी गृहीत संशोधनों को अभी तक मुद्रित नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें सदस्यों को परिचालित नहीं किया जा सका। यह आशा की जाती है कि सभी संशोधनों को आज रात्रि तक मुद्रित कर दिया जाएगा और कल सुबह तक सदस्यों के आवास पर परिचालित कर दिये जाएंगे।

इस सम्बन्ध में अगले दिन मद को आगे चर्चा के लिए जाने पर अध्यक्षपीठ से एक घोषणा की जाएगी।''

श्री मनीष तिवारी ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजनाथ सिंह
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क
4. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
5. श्री अर्जुन चरण सेठी
6. श्री आनंदराव अडसुल
7. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले
8. श्री जगदम्बिका पाल ( *भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

*(लोक सभा बुधवार, 23 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—6469LS(S3)—22-02-2011.

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**बुधवार, 23 फरवरी, 2011/4 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 138**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)*

*(सभा में लगातार व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.34 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 18 दिसम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 240 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2010 जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1001(अ) में प्रकाशित हुए थे और उसका एक शुद्धिपत्र जो 25 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 50(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (खतरनाक माल की ढुलाई) संशोधन नियम, 2010 जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 928(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (संशोधन) नियम, 2011 जो 10 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 11(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 17 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 28(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

**3. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में 218वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्यम विभाग) से संबंधित भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में 219वां प्रतिवेदन।

**4. प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 22 फरवरी, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**5. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विदेश मंत्री ने ''खाड़ी और मध्य पूर्व में हाल ही में आए संकट के दौरान भारतीयों, श्रीलंका में पकड़े गए भारतीय मछुआरों और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रि-वैली विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थियों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय के प्रयासों'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

**6. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री मानिक टैगोर द्वारा देश में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दत्ता आर॰ मेघे द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और अमरावती जिलों में कुपोषण को रोकने हेतु कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा केरल के सबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थयात्रा केन्द्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ पी॰एल॰ पुनिया द्वारा देश विशेषकर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों के लिए बने छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाने हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विलास बी॰ मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर-विदर्भ क्षेत्र में वन्य जीव पर्यटन के समेकित विकास हेतु एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीणों के निर्बाध आवागमन हेतु पर्याप्त संख्या में रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की आमी नदी को औद्योगिक कचड़े के द्वारा हो रहे प्रदूषण से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश को अपने राजकोषीय दायित्व का निर्वहन करने हेतु विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के छोटे और मझौले किसानों को अपने गेहूं और धान खरीद एजेंटों के माध्यम से बेचने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के नालन्दा रेलवे स्टेशन पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए रेल और यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी जो 01.01.2004 से पूर्व सेवा में आए थे को सीसीएस पेंशन नियम, (1972) के अंतर्गत पेंशन लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में केन्द्रीय केला निर्यात केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा बिहार में सोन नहर परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री जोस के॰ मणि द्वारा भारतीय महासागर में साझा राष्ट्रों के समुद्रों के समन्वय एवं सहयोग से गहरे समुद्र में जलदस्युता निरोधी उपाय को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

**7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

लिया गया समय : 9 घंटे 10 मिनट

**#अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन कल जब अनुमोदक ने अपना भाषण समाप्त कर लिया था तब उसके पश्चात् पेश नहीं किए जा सके थे, क्योंकि संशोधन मुद्रित नहीं हो पाए और इसलिए परिचालित भी नहीं हो सके थे। संशोधनों को अब परिचालित किया जा चुका है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधनों को परिचालित कर दिया गया है, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करना चाहते हैं, तो पेश किए जाने वाले संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाने वाली पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं संशोधनों को पेश किया हुआ माना जाएगा, जिनके संबंध में पर्चियां सभा पटल पर निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होंगी।

तत्पश्चात्, उन संशोधनों, जिन्हें पेश किया माना गया है, की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची थोड़ी देर में सूचना पट पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य इस सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह इसे तुरंत सभा पटल अधिकारी के ध्यान में लाए।''

श्री पी॰सी॰ चाको द्वारा 22 फरवरी, 2011 को पेश किए गए तथा श्री मनीष तिवारी द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत् संसद के दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

दो सौ सत्रह (संख्या 1-34, 39-64, 67-123, 142-155, 552-584, 599-636 और 767-782) संशोधन पेश किए गए।

---

#मध्याह्न 12.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल ( *भाषण पुन: आरम्भ किया*)
2. श्री शरद यादव
3. *श्री समीर भुजबल
4. *श्री शेख सैदुल हक
5. *श्री सतपाल महाराज
6. *डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
7. *डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
8. *श्री वीरेन्द्र कुमार
9. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा
10. *श्री मौलाना बदरूद्दीन अजमल
11. *श्री हरिभाऊ माधव जावले
12. *श्री अर्जुन राम मेघवाल
13. श्री बसुदेव आचार्य
14. *श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
15. *श्री धर्मेन्द्र यादव
16. *डॉ॰ मिर्जा मेहबूब बेग
17. *श्री पी॰ एल॰ पुनिया
18. *श्री रमाशंकर राजभर
19. *श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू
20. श्री विष्णु पद राय
21. *श्री एस॰ सेम्मलई
22. *श्री अशोक अर्गल
23. श्री आदि शंकर

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

24. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
25. *श्री प्रेमदास कथीरिया
26. *श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
27. श्री नामा नागेश्वर राव
28. *श्री सी॰ सिवासामी
29. *श्री पी॰ कुमार
30. श्री संजय सिंह चौहान
31. *श्री भर्तृहरि महताब
32. श्री प्रबोध पांडा
33. *श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी
34. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
35. श्री अधीर रंजन चौधरी
36. *श्री रामकिशुन
37. *श्री खगेन दास
38. *श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
39. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
40. *श्री राकेश सचान
41. *श्री राम सिंह कस्वां
42. श्री जगदानन्द सिंह
43. डॉ॰ बलीराम
44. श्री शरीफुद्दीन शारिक
45. श्री हमदुल्लाह सईद
46. *श्री नवीन जिन्दल
47. श्री रमेश विश्वानाथ कट्टी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

48. श्री नरहरि महतो

49. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

50. *श्री मोहन जेना

51. *श्री घनश्याम अनुरागी

52. श्री असादुद्दीन ओवेसी

53. श्री जोसेफ टोप्पो

54. *श्री गोरखनाथ पाण्डेय

55. श्री प्रेम दास राय

56. *श्री गणेश सिंह

57. श्री तरुण मंडल

58. *डॉ० भोला सिंह

(चर्चा पूरी हुई)

#रात्रि 8.04 बजे

*(लोक सभा गुरुवार, 24 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी० के० विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सदस्यों ने सायं 7.13 बजे से रात्रि 8.04 बजे तक अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6512LS(S3)—23-02-2011.

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**गुरुवार, 24 फरवरी, 2011/5 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 139**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

*(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.15 बजे पुन: समवेत हुई)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 41—44 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 45—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, मोती दमन का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) लोक उद्यम समीक्षा 2009-2010, खंड एक और दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद' के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'निवेशकों के धन का अलाभप्रद व्यय—सेबी' के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(3) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2006-07) से अधिक व्यय' के संबंध में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन' के संबंध में समिति के आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(5) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)' के संबंध में समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अठाईसवां प्रतिवेदन।

(6) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'पनडुब्बियों की अधिप्राप्ति में विक्रेता को अनुचित लाभ' के संबंध में समिति के 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उनतीसवां प्रतिवेदन।

(7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)' के बारे में तीसवां प्रतिवेदन।

(8) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए॰आई॰बी॰पी॰)' के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।

**6. आचार समिति का प्रतिवेदन**

श्री माणिकराव होडल्या गावित ने आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री अनंत कुमार ने विदेशी मामलों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 7वां प्रतिवेदन*।

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी 8वां प्रतिवेदन।

**8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री राजीव रंजन सिंह (ललन) ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित ''अवैध कोयला खनन और चोरी का निवारण'' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 11वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित ''इस्पात क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार'' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 12वां प्रतिवेदन।

---

*7वां प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 2 फरवरी, 2011 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का सहर्ष आदेश दिया।

**9. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री शिवराम गौडा  ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सीमेंट उद्योग के कार्यनिष्पादन के बारे में 95वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010–2011) के संबंध में समिति के 93वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में 96वां प्रतिवेदन।

(3) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010–2011) के संबंध में समिति के 94वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में 97वां प्रतिवेदन।

**10. चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 के उप–नियम (1) खंड (ख) और नियम 5 के उप–नियम (1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

**11. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा निजी क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा गार्डों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यता के बारे में।

(2) श्री जयवंत गंगाराज आवले द्वारा प्रत्येक उड़ान से पूर्व और पश्चात् पायलटों के लिए अल्कोहल ग्रहण जांच का परीक्षण अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के पुणे-हैदराबाद खण्ड पर जहीराबाद से सांगारेड्डी तक सड़क को चार लेन वाला बनाए जाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कमल किशोर 'कमांडों' द्वारा नेपाल से आए बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपरदन को रोकने के लिए उपाय किए जाने तथा प्रभावित लोगों को पर्याप्त वित्तीय प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा सिक्खों की शादी को मान्यता प्रदान करने हेतु आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2008 को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर और सिद्दीपेट से होकर पेद्दापल्ली से सिकन्दराबाद के बीच नई रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा केरल में सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बेहतर प्रबंध करने हेतु पम्पा से सन्निधानम् तक पर्वतीय मार्ग को चौड़ा करने और उसे सुदृढ़ करने तथा श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा जल-विवाद के त्वरित निपटान हेतु वंशधारा जल विवाद अधिकरण के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ऐतिहासिक महल "हजार द्वारी" की सुरक्षा करने तथा इसका रखरखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की समीक्षा और इसकी पुनर्संरचना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा असंगठित क्षेत्र में कामगारों की पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में धनबाद, चन्द्रपुर और फूसरो रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ संजीव गणेश नाईक द्वारा राज्य में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर झुग्गियों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे

**12. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

लिया गया समय: 10 घंटे 7 मिनट

श्री पी॰सी॰ चाको द्वारा 22 फरवरी, 2011 को पेश किए गए तथा श्री मनीष तिवारी द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा और श्री शिवराम गौडा ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे।

डॉ॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

*(लोक सभा अपराह्न 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.15 बजे पुन: समवेत हुई)*

*अपराह्न 1.15 बजे

पेश किए गए सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.36 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

**13. संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव — स्वीकृत हुआ।**

लिया गया समय: 3 घंटे 42 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि :-

(एक) वर्ष 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन और कीमत

---

*अपराह्न 1.18 बजे से अपराह्न 1.36 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निर्धारण में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों और उसके परिणामों सहित, नीति निर्धारण और तत्पश्चात् उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा उनकी व्याख्या की जांच के लिए;

(दो) वर्ष 1998 से 2009 तक सरकार के निर्णयों और नीति निर्धारण के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और विपथनों, यदि कोई हों, तथा उनके परिणामों की जांच के लिए; और

(तीन) दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन और कीमत निर्धारण में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के लिए समुचित प्रक्रिया का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु सिफारिश करने के लिए;

दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए जिसमें 30 सदस्य — 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से होंगे।''

2. कि समिति में लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य इसके सदस्य होंगे:—

1. श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव
2. श्री पबन सिंह घाटोवार
3. श्री जय प्रकाश अग्रवाल
4. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
5. श्री पी॰सी॰ चाको
6. श्री मनीष तिवारी
7. श्री निर्मल खत्री
8. श्री अधीर रंजन चौधरी
9. श्री टी॰आर॰ बालू
10. श्री कल्याण बनर्जी
11. श्री जसवंत सिंह
12. श्री यशवंत सिन्हा
13. श्री हरिन पाठक

14. श्री गोपीनाथ मुंडे

15. श्री शरद यादव

16. श्री दारा सिंह चौहान

17. श्री अखिलेश यादव

18. श्री गुरुदास दासगुप्त

19. श्री अर्जुन चरण सेठी

20. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

3. कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इसका सभापति नाम-निर्दिष्ट करेंगी।

4. कि समिति उस दिन से कार्य करना आरंभ करेगी जिस दिन इसका सम्यक रूप से गठन होगा।

5. कि समिति को सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा सभी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

6. कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक-तिहाई होगा।

7. कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र की समाप्ति तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को प्रस्तुत करेगी।

8. कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया के नियम ऐसे रूपभेदों और उपांतरों के साथ लागू होंगे जैसा अध्यक्ष विहित करे।

9. कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भी इस समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा के सदस्यों में से उपर्युक्त उल्लिखित समिति में नियुक्ति के लिए 10 सदस्यों के नामों की सूचना दे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज

2. श्री कपिल सिब्बल

3. कुंवर रेवती रमण सिंह
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री शरद यादव
6. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
7. श्री टी॰ के॰ एस॰ इलेंगोवन
8. श्री बसुदेव आचार्य
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री लालू प्रसाद
11. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
12. श्री गुरुदास दासगुप्त
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग
15. श्री मनीष तिवारी
16. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
17. डॉ॰ तरुण मंडल

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#सायं 6.46 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार,* 25 *फरवरी,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

#अपराह्न 5.43 बजे से सायं 6.46 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6546LS(S3)—24-02-2011.

**दिनांक 23.02.2011 के**
**समाचार—भाग एक,**
**संख्या 138 का शुद्धिपत्र**

पृष्ठ सं॰ 8, पंक्ति 12 '**चर्चा पूरी हुई।**'

के स्थान पर '**चर्चा पूरी नहीं हुई।**' पढ़ा जाए।

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

**शुक्रवार, 25 फरवरी, 2011/6 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 140**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) *दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

2. श्री लाल कृष्ण आडवानी

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(दो)* *पवित्रनदी गंगा के अस्तित्व पर खतरे के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने पवित्र नदी गंगा के अस्तित्व पर खतरे के बारे में निवेदन किए:—

1. कुंवर रेवती रमन सिंह

2. श्री शरद यादव

सर्वश्री विजय बहादुर सिंह, राकेश पाण्डेय और कपिल मुनि करवारिया सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 2.55 बजे

(तीन)** *राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के परिवार द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के परिवार द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में निवेदन किए:—

1. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
2. श्री मंगनी लाल मंडल

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 61—63 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 64—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

*(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.55 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक समीक्षा 2010-11 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 2094(अ) जो 27 अगस्त, 2010

**अपराह्न 3.08 बजे

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न और चीनी की जूट पैकेज सामग्री में 100 प्रतिशत पैकेजिंग अनिवार्य की गई है।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गमन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010 जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडीएनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2010 जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यू: आईआरएस: 3513:2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2010 जो 19 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 683(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री पी० के० बिजू ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में 229वां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010 के बारे में 234वां प्रतिवेदन।

(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010 के बारे में 235वां प्रतिवेदन।

**6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य**

श्री पी॰ के॰ बिजू ने मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की प्रतियां सभा पटल पर रखीं:—

(1) वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010

(2) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

**7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 28 फरवरी, 2011 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

8. **बजट (रेल)—2011-12**

कुमारी ममता बनर्जी ने रेल के संबंध में वर्ष 2011-2012 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

**(लोक सभा अपराह्न 1.44 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.51 बजे पुनः समवेत हुई।)**

*अपराह्न 3.41 बजे

**9. प्रस्ताव**

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 24 फरवरी, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**10. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित**

(1) श्री असादूद्दीन ओवेसी का बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

(2) श्री योगी आदित्यनाथ का इलाहाबाद उच्च न्यायालय (गोरखपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010

(3) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 (*धारा 3 का संशोधन*)।

(4) श्री एल॰ राजगोपाल का अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2010 (*धारा 2 का संशोधन*)।

---

*अपराह्न 2.51 बजे से अपराह्न 3.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्री एल॰ राजगोपाल का सती (निवारण) संशोधन विधेयक, 2010 (*धारा 2 का संशोधन, आदि*)।

(6) एडवोकेट पी॰ टी॰ थॉमस का वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 (*धारा 14 का संशोधन*)।

(7) श्री चन्द्रकांत खैरे का गौ (संरक्षण) विधेयक, 2010

(8) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील का कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2010

(9) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील का रेल (संशोधन) विधेयक, 2010 (*नए अध्याय XIII क का अंत:स्थापन*)।

(10) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह का आवश्यक वस्तु कीमत निर्धारण आयोग विधेयक, 2010

(11) एडवोकेट पी॰ टी॰ थॉमस का तकनीकी शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थाएं और विश्वविद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2010

(12) श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला का पोलियो-पश्चात् संलक्षण (शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी) विधेयक, 2010

(13) एडवोकेट पी॰ टी॰ थॉमस का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (*अनुसूची का संशोधन*)।

(14) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 29कक का अंत:स्थापन)।

(15) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010

(16) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (*अनुच्छेद 19 का संशोधन*)।

(17) श्री अधीर रंजन चौधरी का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (*धारा 304क का संशोधन, आदि*)।

(18) श्री अधीर रंजन चौधरी का आत्महत्या-प्रयत्न को अदण्डनीय अपराध मानना विधेयक, 2010

(19) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का बंद कपड़ा मिल कर्मकार (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2010

(20) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील का केला उत्पादक (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2010

(21) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील का राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण एवं पुनर्वास प्राधिकरण विधेयक, 2010

(22) श्री अधीर रंजन चौधरी का कॉफी उत्पादक कल्याण विधेयक, 2010

(23) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी का उन्मूलन विधेयक, 2010

(24) श्री मनीष तिवारी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (*नए भाग 3क का अंत:स्थापन, आदि*)।

(25) श्री हरिभाऊ जावले का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2011 (*नई धारा 19क का अंत:स्थापन*)।

(26) श्रीमती विजया चक्रवर्ती का धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2011

(27) श्रीमती विजया चक्रवर्ती का लोक नियोजन (भर्ती) विधेयक, 2011

(28) *श्री पन्ना लाल पुनिया का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (*नए अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन*)।

(29) *श्री पन्ना लाल पुनिया का नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2010

(30) *श्री पन्ना लाल पुनिया का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2010 (*धारा 3 का संशोधन, आदि*)।

(31) *श्री पन्ना लाल पुनिया का सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार देने का विनियमन) विधेयक, 2010

अपराह्न 4.23 बजे

**11. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—वापस लिया गया**

*श्री अधीर रंजन चौधरी का बालक कल्याण विधेयक, 2009*

श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा 13 अगस्त, 2010 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एस॰ सेम्मलई

2. श्री अर्जुन राम मेघवाल

---

*सायं 5.59 बजे

3. श्री जगदम्बिका पाल

4. श्री रमाशंकर राजभर

5. श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

6. श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री अधीर रंजन चौधरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

**12. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन**

*श्री वैजयंत पांडा का अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009*

श्री वैजयंत पांडा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

**सायं 6.07 बजे

*(लोक सभा सोमवार, 28 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

**सायं 6.01 बजे से सायं 6.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6608LS(S3)—25-02-2011.

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**सोमवार, 28 फरवरी, 2011/9 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 141**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. बजट (सामान्य) — 2011-2012**

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-2012 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.50 बजे

**2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभापटल पर रखे गए विवरण**

श्री प्रणब मुखर्जी ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) वृहत् आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(दो) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

**3. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*वित्त विधेयक,* 2011.

अपराह्न 12.51 बजे

*(लोक सभा मंगलवार,* 1 *मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—6648LS(S3)—28-02-2011.

# लोक सभा

## समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

**मंगलवार, 1 मार्च, 2011/10 फाल्गुन, 1932 (शक)**

**संख्या 142**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

*(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.02 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.15 *बजे पुन: समवेत हुई)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

**1. प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.28 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 82—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1040(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी और खांडसारी के डीलरों पर स्टॉकहोल्डिंग और टर्नओवर की सीमाएं अधिरोपित की गई हैं।

(दो) चीनी (वर्ष 2010-2011 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2011 जो दिनांक 18 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 35(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) चीनी (वर्ष 2009-2010 के उत्पादन के लिए मूल्य-निर्धारण) संशोधन आदेश, 2011 जो दिनांक 18 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 36(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(चार) सा॰का॰नि॰ 72(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अत्यधिक संख्या में चीनी के उपभोक्ताओं पर स्टॉकहोल्डिंग और टर्नओवर की सीमाएं अधिरोपित की गई हैं।

(पांच) का॰आ॰ 3060(अ) जो 30 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2361(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 28 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1019(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति:—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1017(अ) जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 6 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 287(अ) का शुद्धिपत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया हुआ है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1018(अ) जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी 6 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 584(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया हुआ है।

**3. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री पी॰ करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**4. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ महेश जोशी ने यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का *161वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री मनीष तिवारी ने विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**#6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री वी॰ नारायणसामी ने कार्य मंत्रणा समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

**7. लोक लेखा समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

---

* प्रतिवेदन, राज्य सभा के सभापति के निदेशों के निदेश 3(1) के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित की गई थी।

\# अपराह्न 2.52 बजे।

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की लोक लेखा समिति (2010-11) के शेष कार्यकाल के लिए श्री अश्विनी कुमार, जो मंत्री नियुक्त हुए हैं, के स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को इस समिति के साथ सहयोजित करने हेतु नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.04 बजे

**8. सदस्यों द्वारा निवेदन**

*देश में चल रही जनगणना में जाति आधारित जनगणना के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में चल रही जनगणना में जाति आधारित जनगणना के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री शरद यादव
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री गोपीनाथ मुंडे
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री लालू प्रसाद
6. श्री टी॰आर॰ बालू
7. श्री बसुदेव आचार्य
8. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
9. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
10. श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा
11. श्री भर्तृहरि महताब
12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

---

*अपराह्न 12.04 बजे से 12.34 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

14. शरीफुद्दीन शारिक

15. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

16. श्री जोसेफ टोप्पो

श्री गणेश सिंह सहयोजित हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने भी उत्तर दिया।

*(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.34 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.02 बजे

**9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा बंगलुरु (कर्नाटक) और कुड्डालोर (तमिलनाडु) के बीच सेलम और विरद्धाचलम होते हुए एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा दुग्ध उत्पादकों सहित छोटे और सीमांत किसानों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री प्रेमचन्द गुड्डु द्वारा मध्य प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी फसल पाला की वजह से बर्बाद हुए हैं, को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के लोगों के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित नियम को शासित करने वाले विधि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घाटा सह रहे तंबाकू उत्पादकों के लिए तंबाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा उन्हें सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पी॰ विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में पालार नदी पर चैक डैम के निर्माण हेतु धनराशि संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एंटो एंटोनी द्वारा विदेशी अस्पतालों में कार्यरत भारतीय नर्सों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत को अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद का सदस्य बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुरेश काशीनाथ तवारे द्वारा महाराष्ट्र में भिवंडी और छत्रपति शिवाजी स्टेशन के बीच प्रतिदिन लोकल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा गोवा में ड्रग माफिया की गतिविधियों पर काबू पाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य कृषि ऋण पर प्रोसेसिंग प्रभार समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ राजन सुशान्त द्वारा देश में विकास और न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी हेतु पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा और चित्रकूट जिले में पाला के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट बुनाई के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों के पठारी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ रत्ना डे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से खेल नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ पुलीन बिहारी बासके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सबलीकरण हेतु पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को संसाधन प्रबंध और विकास संबंधी समन्वित कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री यशवंत लागुरी द्वारा वरंचिती लिपि को बढ़ावा देने के अलावा उड़ीसा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में कोल, मुंडा और हो जातियों द्वारा बोली जाने वाली 'हो' भाषा को सरकारी मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा राज्यों में केन्द्रीय सरकार की योजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों के अध्यक्षों एवं सह-अध्यक्षों को पर्याप्त शक्तियां दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र में कोल्हापुर को कोंकण रेल से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

**10. सरकारी विधेयक — पारित**

*(एक) बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010*

लिया गया समय: 1 घंटा 26 मिनट

श्री पी॰ चिदम्बरम ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल
2. श्री मदन लाल शर्मा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री सुशील कुमार सिंह
6. श्री प्रबोध पांडा
7. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री पी॰ कुमार
10. श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
11. चौधरी लाल सिंह
12. श्री मोहम्मद ई॰टी॰ बशीर

13. श्री नारनभाई कछाड़िया
14. श्री मंगनी लाल मंडल

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.29 बजे

*(दो) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2010*

लिया गया समय: 2 घंटे 34 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमो नारायन मीणा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्रीमती सुमित्रा महाजन
3. डॉ॰ सांबासिवा राव
4. श्री मंगनी लाल मंडल
5. श्रीमती सुष्मिता बौरी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री विजय बहादुर सिंह

8. श्री एस॰ सेम्मलई
9. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री अर्जुन राम मेघवाल
11. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
12. श्री नारनभाई कछाड़िया
13. श्री जगदीश शर्मा
14. श्री रामकिशुन

श्री नमो नारायन मीणा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

*सायं 6.51 बजे

*(लोक सभा गुरुवार, 3 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*सायं 6.04 बजे से सायं 6.51 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6751LS(S3)—01-03-2011.

# लोक सभा

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 (शक)

**संख्या 143**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2010 जो 20 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 986(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 जो 20 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 987(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**3. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना दी:—

''कि यह सभा लोक सभा की सिफारिशों से सहमत है कि दोनों सभाओं की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति, जिसमें लोक सभा से 20 तथा राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल होंगे, गठित की जाए:—

(एक) वर्ष 1998 से 2009 तक दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण में, उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा नीति निर्धारण और तत्पश्चात् उनके निर्वचन की जांच करना जिसमें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और उनके परिणाम शामिल हैं;

(दो) वर्ष 1998 से 2009 तक सरकार के निर्णयों और नीति निर्धारण के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और विपथन, यदि कोई हों, और उनके परिणामों की जांच करना; और

(तीन ) दूरसंचार लाइसेंसों के आबंटन और मूल्य निर्धारण में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का निरूपण सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करना।

जैसाकि लोक सभा द्वारा 24 फरवरी, 2011 को स्वीकृत प्रस्ताव में दर्शाया गया है तथा 25 फरवरी, 2011 को इस सभा को सूचित किया गया है और यह संकल्प करती है कि यह सभा उक्त समिति से सहयोजित होती है तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए इस सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित 10 सदस्यों को नियुक्त करती है:—

(1) प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन

(2) श्रीमती जयंती नटराजन

(3) श्री प्रवीण राष्ट्रपाल

(4) श्री तिरुची शिवा

(5) डॉ॰ योगेन्द्र पी॰ त्रिवेदी

(6) श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया

(7) श्री रवि शंकर प्रसाद

(8) श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह

(9) श्री सतीश चन्द्र मिश्र

(10) श्री सीताराम येचुरी

**4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र**

अध्यक्ष ने सभा को यह सूचित किया कि उन्हें झारखण्ड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अर्जुन मुंडा का लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 26 फरवरी, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने 26 फरवरी, 2011 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

**5.अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप, अब वे सभापति तालिका के सदस्य नहीं हैं।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 9(1) के अधीन मैंने श्री सतपाल महाराज को इस रिक्त पद के लिए नामनिर्दिष्ट कर दिया है।''

**6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**7. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010–11) के बारे में नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

***8. याचिका का प्रस्तुतीकरण**

श्री बसुदेव आचार्य ने विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1953 के कतिपय उपबंधों के अतिक्रमण के कारण विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया के महासचिव श्री डी॰ पी॰ दुबे द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

**9. प्रस्ताव**

श्री शैलेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 1 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)**

कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2010–11 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**11. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

---

*अपराह्न 2.03 बजे

(1) श्री खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा दिल्ली की बैरवा और बलाई जातियों के लोगों को एक ही जाति के रूप में मानने तथा उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा कोट्टापुरा-मंगलौर राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण शुरू कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप के अन्द्रोथ द्वीप में एक हवाईअड्डे का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) मोहम्मद असरारूल हक द्वारा बिहार के किशनगंज जिले और अन्य संलग्न क्षेत्रों में क्षय रोग तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हर्षवर्धन द्वारा सरकारी कार्यालयों और विभागों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश में चंद्रपुरा से ओरछा तक सड़क और पुलों का निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे की तर्ज पर नागपुर-रायपुर-राउरकेला-पारादीप औद्योगिक गलियारे का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री डी॰बी॰ चन्द्रे गौडा द्वारा राज्य के भीतर तथा बाहर प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को पर्याप्त मात्रा में कोयले का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अशोक अर्गल द्वारा उत्तर-मध्य रेलवे में गुना-इटावा रेल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड में कोनार बांध परियोजना के निर्माण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा देश में खाद्यान्न भंडारण की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जापानी इंसेफलाइटिस के लिए एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में डीआरडीओ का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा बिहार के बक्सर और चौसा क्षेत्रों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के संरक्षण और विकास की आवश्यकता के बारे में।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)*

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.35 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)*

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत हुई)*

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)*

अपराह्न 3.17 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार, 4 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—6797LS(S3)—03-03-2011.

# लोक सभा

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

**शुक्रवार, 4 मार्च, 2011/13 फाल्गुन, 1932 (शक)**

**संख्या 144**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.15 बजे पुन:समवेत हुई)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 121—124 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 125—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 918(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या

81/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 934(अ) जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 999(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 31/2010-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1000(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्याज और सैलट को मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 1002(अ) जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 1008(अ) जो 23 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न विमान सेवा करारों के अंतर्गत विभिन्न देशों की नाम निर्दिष्ट विमान कंपनियों द्वारा आयातित विशिष्ट मदों को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 1013(अ) जो 24 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 1035(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 1036(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 1037(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 1038(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 118/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 1039(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 6(अ) जो 6 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना अथवा सुविधा की प्रारंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनों की सभी मदों और संघटकों को उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक सीमा शुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 10(अ) जो 8 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 46(अ) जो 24 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 52(अ) जो 27 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दलहनों पर लागू आयात शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2011 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2012 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 997(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰ (गै॰टै॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 916(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 33/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 998(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 17/2010-के॰उ॰शु॰ को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 917(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 88/2007-सी॰शु॰ का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 919(अ) जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में ओमान, सउदी अरब और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पॉलीप्रोपिलीन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपालन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 933(अ) जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में थाईलैंड और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 947(अ) जो 2 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस मामले में उनमें उल्लिखित कतिपय फर्मों

द्वारा निर्यात किए जाने पर बस और ट्रक रेडियल टायरों के आयातों के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा नई शिपर समीक्षा निष्कर्षों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रतिभूति के अध्यधीन अनंतिम मूल्यांकन का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 962(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक चीन जनवादी गणतंत्र, चीनी ताइपे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया जनवादी गणतंत्र में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित, उसमें उल्लिखित, सिंथेटिक फिलामेंट यार्न की विशेषता वाले नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली को 26 अगस्त, 2011 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 981(अ) जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य तथा इजरायल में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजीटल हाईरारकी (एसडीएच) ट्रांसमिशन उपस्कर के सभी आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों पर विनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 1007(अ) जो 23 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस मामले में उनमें उल्लिखित, कतिपय फर्मों द्वारा निर्यात किए जाने पर बस और ट्रक रेडियल टायरों के आयातों के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा नई शिपर समीक्षा निष्कर्षों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रतिभूति के अध्यधीन अनंतिम मूल्यांकन का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 1023(अ) जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित एमओआर, पी एक्स 13 तथा टीडीक्यू के आयातों पर उद्‌ग्रहणीय प्रतिपाटन शुल्क को प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक, 11 मई, 2011 तक और इसके समेत जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 989(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 2/2010-सेवाकर को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 990(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 17/2010-सेवाकर को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 991(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पैकेज्ड अथवा कैंड सॉफ्टवेयर को कतिपय शर्तों के अध्यधीन सेवा कर से पूर्णत: छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 992(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 24/2009-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 993(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 994(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 995(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 996(अ) जो 21 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मौसम आधारित फसल बीमा योजना या संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए सामान्य बीमा व्यवसाय के संबंध में समग्र सेवा के लिए उस पर उद्ग्रहणीय कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) (ग) के अंतर्गत जारी दिनांक 5 जनवरी, 2011 की आदेश संख्या फाइल संख्या 178/35/2008/आईटीए-I जो महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन अधिनियम, 1996 की धारा 37(2) के अंतर्गत 80 आईबी (आयकर अधिनियम, 1961 का 10) में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित परिशिष्ट-टी के तहत मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर (पहला संशोधन) स्कीम, 2010 जो 22 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2819(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

9. (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

10. उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

## 4. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰सी॰ चाको ने विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

## 5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरीफुद्दीन शारिक ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 162वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 163वां प्रतिवेदन।

(3) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 164वां प्रतिवेदन।

(4) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 157वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(5) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

**6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ ज्योति मिर्धा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 48) के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(2) एड्स नियंत्रण विभाग की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष विभाग की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 47) के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 46) के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(5) ''टीका उत्पादक सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् सेंट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआरआई), कसौली, पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पीआईआई), कुन्नूर और बीसीजी वैक्सीन लैबोरेटरी (बीसीजीवीएल), चेन्नई से संबंधित प्रमुख मुद्दों'' के बारे

में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(6) 'नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर विधेयक, 2010' के बारे में 53वां प्रतिवेदन।

**7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य**

डॉ॰ ज्योति मिर्धा ने 'नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर विधेयक, 2010' के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

**8. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 7 मार्च, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

**10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)**

श्री एस॰एस॰ पलानीमनिकम ने श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से वर्ष 2010-11 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.13 बजे

**11.(एक) बजट (रेल) 2011-2012; (दो) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 2010-11.**

आबंटित समय: 8 घंटे
लिया गया समय: 7 घंटे 29 मिनट
शेष समय: 31 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ संयुक्त चर्चा के लिए ली गईं:—

(एक) बजट (रेल) 2011-12 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2010-11 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13 और 16

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

#1. श्री योगी आदित्यनाथ

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.16 बजे स्थगित हुई और अपराहन 1.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

2. डॉ॰ गिरिजा व्यास
*3. श्री वीरेन्द्र कश्यप
*4. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
*5. श्री सी॰ शिवासामी
*6. श्री एस॰ सेम्मलई
*7. श्री पी॰ कुमार
*8. श्री राकेश सचान
*9. श्री मधुसूदन यादव
*10. श्री भूपेन्द्र सिंह
*11. श्री राम सिंह कस्वां
*12. श्री पी॰ सी॰ गद्दीगौदर
*13. श्री प्रेमदास
*14. श्री हर्ष वर्धन
*15. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
*16. प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर
*17. श्री कमलेश पासवान
*18. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

---

#उन्होंने अपराह्न 1.11 बजे अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*19. श्री गजानन ध॰ बाबर

*20. श्री एंटो एंटोनी

*21. श्री एम॰ के॰ राधवन

*22. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल

*23. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

*24. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

*25. श्री जगदीश सिंह राणा

*26. श्रीमती ऊषा वर्मा

*27. श्रीमती सुशीला सरोज

*28. श्री वीरेन्द्र कुमार

*29. श्री श्रीपाद येसो नाईक

*30. श्री राधा मोहन सिंह

*31. श्री राकेश पाण्डेय

*32. श्री तूफानी सरोज

*33. श्री मानिक टैगोर

*34. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा

*35. श्रीमती रमा देवी

*36. श्री पशुपति नाथ सिंह

*37. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

*38. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

*39. श्री अशोक कुमार रावत

*40. श्री हरि मांझी

*41. श्री आधि शंकर

*42. श्री दता मेघे

*43. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*44. श्री जयवंत गंगाराम आवले

*45. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वर

*46. श्री भर्तृहरि महताब

*47. श्री कपिल मुनि करवारिया

*48. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़

*49. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे

*50. श्री अशोक अर्गल

*51. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर

*52. श्री जोस के॰ मणि

*53. श्री भक्त चरण दास

*54. श्रीमती कमला देवी पटले

*55. श्री के॰पी॰ धनपालन

*56. श्री प्रदीप कुमार सिंह

*57. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन

*58. डॉ॰ भोला सिंह

*59. श्री मकनसिंह सोलंकी

*60. श्री शिवकुमार उदासी

*61. श्री निखिल कुमार चौधरी

*62. श्री पकौड़ी लाल

*63. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन

*64. श्री चंद्रकांत खैरे

*65. प्रो॰ शेख सैदुल हक

*66. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी

*67. श्री रामसिंह राठवा

*68. श्री अर्जुन राम मेघवाल

69. कुंवर रेवती रमन सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*70. श्री नारनभाई कछाड़िया

*71. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण

*72. श्री मानिकराव होडल्या गावित

73. श्री दारा सिंह चौहान

*74. श्री पन्ना लाल पुनिया

*75. डॉ॰ महेश जोशी

*76. श्री महाबल मिश्रा

77. श्री दिनेश चन्द्र यादव

*78. श्री सुशील कुमार सिंह

*79. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम

*80. कुमारी सरोज पाण्डेय

*81. श्री सुदर्शन भगत

82. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

*83. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

*84. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग

*85. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*86. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*87. श्री रावसाहेब दानवे पाटील

*88. श्री प्रबोध पांडा

89. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन

*90. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*91. श्रीमती जे॰ शांता

*92. श्री धनंजय सिंह

93. श्री एम॰बी॰ राजेश

*94. श्री सतपाल महाराज

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

95. श्री मोहन जेना

*96. श्री पी॰ करूणाकरन

*97. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला

*98. श्री संजय धोत्रे

*99. श्री सज्जन वर्मा

*100. श्री राधे मोहन सिंह

*101. श्री चंदूलाल साहू

*102. श्री मुरारीलाल सिंह

103. श्री आनंद प्रकाश परांजपे

*104. श्री शिवराज भैया

*105. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी

106. श्री देवेन्द्र नागपाल

*107. श्रीमती सुमित्रा महाजन

*108. श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल

109. श्री बिभू प्रसाद तराई

*110. श्री हरीश चौधरी

111. श्री जगदानंद सिंह

*112. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*113. श्री विष्णु देव साय

114. श्रीमती पुतुल कुमारी

*115. श्री प्रेमचन्द गुड्डू

116. श्री दुष्यंत सिंह

117. श्री एन॰ धरम सिंह

*118. श्री देवजी एम॰ पटेल

119. श्री शैलेन्द्र कुमार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

120. डॉ॰ बलीराम
121. श्री जगदीश शर्मा
*122. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
123. श्री ई॰जी॰ सुगावनम
124. श्री गणेश सिंह
125. श्री रघुवीर सिंह मीणा
126. डॉ॰ निर्मल खत्री
127. श्री विजय बहादुर सिंह
128. श्रीमती मीना सिंह
*129. एडवोकेट ए॰ सम्पत
130. श्री मिथिलेश कुमार
131. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
132. श्रीमती प्रिया दत्त
133. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
*134. श्री बद्री राम जाखड़
*135. श्री पवन सिंह घाटोवार
136. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
*137. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
138. श्री उदय प्रताप सिंह
139. श्री धर्मेन्द्र यादव
140. श्री राकेश सिंह
141. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
142. डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क
*143. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
144. डॉ॰ राजन सुशान्त
145. श्री इज्यराज सिंह

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

146. श्री अर्जुन राय

147. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ

148. श्री हेमानंद बिसवाल

149. श्री रामकिशुन

150. डॉ॰ (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड

151. श्री घनश्याम अनुरागी

152. डॉ॰ थोकचोम मैन्या

153. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

154. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

*155. श्री कमल किशोर 'कमांडो'

*156. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक

चर्चा पूरी नहीं हुई।

**$12. सदस्य द्वारा निवेदन**

*लीबिया में रहने वाले भारतीयों की दशा के बारे में*

श्री शीश राम ओला ने लीबिया में रहने वाले भारतीयों की दशा के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री सुदीप बन्दोपाध्याय और हरिन पाठक सहयोजित हुए।

श्री वायालार रवि ने उत्तर दिया।

कुमारी ममता बनर्जी ने भी उत्तर दिया।

रात्रि 8.36 बजे

*(लोक सभा सोमवार, 7 मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

$अपराह्न 1.00 बजे से अपराह्न 1.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6862LS(S3)—04-03-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**सोमवार, 7 मार्च, 2011/16 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 145**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य तथा राज्य सभा के वर्तमान सदस्य श्री अर्जुन सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

**2. सदस्य द्वारा निवेदन**

**लखनऊ में श्री मुलायम सिंह यादव, संसद सदस्य के आने-जाने पर प्रतिबंध के बारे में**

कुंवर रेवती रमण सिंह ने लखनऊ में श्री मुलायम सिंह यादव, संसद सदस्य के आने-जाने पर प्रतिबंध के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई)*

पूर्वाह्न 11.30 बजे

**3. प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 141 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.34 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 142—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 4 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 224 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2011 जो 15 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 25(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) निक्षेप से सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2011 जो 8 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 9(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका शुद्धिपत्र 11 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 83(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा (1) की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 30(अ), जो 8 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें, उसमें उल्लिखित स्थापनाओं

को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को स्थापनाओं की श्रेणी के रूप में नियोजित किया गया है जिनके संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा (7) की उपधारा (1) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 862(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1025(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चेन्नई पत्तन न्यास के नियम/विनियम में 'मद्रास' का नाम बदलकर 'चेन्नई' किए जाने के बारे में है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 1026(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी' (पेंशन) तीसरा संशोधन विनियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1027(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी आवास ऋण' (संशोधन) विनियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है।

(12) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 289(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पादप और जीव जंतुओं की प्रजातियां जो बिहार राज्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 290(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पादप और जीव जंतुओं की प्रजातियां जो त्रिपुरा राज्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(21) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत वेटलैण्ड्स (संरक्षण तथा प्रबंधन) नियम, 2010 जो 4 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 951(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडीसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडीसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) वर्ष 2011-2012 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(क) (एक) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(एक) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2010 जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2810(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2010 जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3050(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2010 जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 212(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(30) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी इलेक्ट्रिक वॉयर्स, केबल्स, एप्लाएंसेस एण्ड प्रोटेक्शन डिवाइसेस एण्ड एसेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 जो 19 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 512(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 65(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 10 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 903(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(34) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 30 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 195(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिह्न (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1024(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2869(अ) जो 30 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्रदुर्ग-शिमोगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग जोन बंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 108(अ) और का॰आ॰ 109(अ) जो 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के विभिन्न भागों (बमिठा-सतना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 334(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अजमेर-उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2842(अ) जो 25 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2117(अ) और का॰आ॰ 2118(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 के विभिन्न भागों (धलेश्वरी-भैरवी रोड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1469(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित

अपर जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर (भूमि अर्जन कलक्टर), ढलाई जिला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1833(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के विभिन्न भागों (चुरैबारी-मनु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(37) उपर्युक्त (36) की मद संख्या (पांच), (छह) और (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 950(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(39) उपर्युक्त (38) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री एम॰ कृष्णास्वामी ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 220वां प्रतिवेदन;

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 221वां प्रतिवेदन; और

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 217वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 222वां प्रतिवेदन।

***6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.02 बजे

**7. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य**

प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.18 बजे

**8. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा देश में कन्या भ्रूण-हत्या की बढ़ रही घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा इदुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और केरल के अन्य भागों में बंद तथा परित्यक्त चाय बागानों के पुनरुद्धार हेतु कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री इज्यराज सिंह द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों में उच्च/तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा रामगंजमंडी और उज्जैन के बीच वाया झालावाड़ और आगार एक रेलवे लाईन के निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.04 बजे

#अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र विशेषकर करीम नगर में एक क्षेत्रीय मसाला बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों, जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात और दीव के मछुआरों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा कराए जाने तथा ऐसे मछुआरों के परिवारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रमेन डेका द्वारा असम के ओरांग राष्ट्रीय पार्क में अवैध शिकार और घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा दांडी हेरिटेज मार्ग का शीघ्र उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स की तरह का चिकित्सा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के मुशहर समुदाय के लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा पश्चिम बंगाल में धागा और तागा की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 7 पर 148/8 सेशमपट्टी जंक्शन और 132/2 गुंडला पट्टी जंक्शन पर फ्लाईओवरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा केरल के पलक्कड़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा शारीरिक रूप से नि:शक्त और वयोवृद्ध लोगों को रेलवे प्लेटफार्मों पर व्हील चेयर और एस्केलेटर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.19 बजे

**9. नियम 331छ के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331छ को वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) तथा वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान पर इसे लागू करने के संबंध में निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.19 बजे

**10. (एक) बजट (रेल)—2011-12;**

**(दो) संकल्प—पेश किया गया**

लिया गया समय : 9 घंटे 58 मिनट

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा ने कुमारी ममता बनर्जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के पहले प्रतिवेदन जिसे 10 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 55, 56, 57, 58 और 62 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

कार्य की निम्नलिखित मदों पर एक साथ आगे चर्चा की गई:—

(एक) संकल्प

(दो) बजट (रेल)—2011-12;

(तीन) बजट (रेल)—2010-11 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13 और 16;

(चार) बजट (रेल)—2011-12 के संबंध में अनुदानों की मांग सं॰ 1 से 16

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, वित्तीय कार्य के पुनर्निर्धारण के कारण, अब सभा रेल अभिसमय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुमोदन के आशय से सरकारी संकल्प पर संयुक्त चर्चा करेगी, वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) और वर्ष 2010-11 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा और वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों (रेल) पर भी चर्चा तथा मतदान करेगी।

यद्यपि, अनुदानों की मांगों को संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को बिना भेजे हुए पारित कराने के लिए प्रक्रिया नियम के नियम 331छ को निलंबित कर दिया गया है, तथापि, समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की जांच कर सकती हैं और उन पर अपने प्रतिवेदन दे सकती हैं।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके वर्ष 2011-12 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे जिन कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं, उनकी क्रम संख्याओं का उल्लेख करते हुए पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज सकते हैं। केवल उन कटौती प्रस्तावों को, जिनकी पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो जाती हैं, पेश किया हुआ माना जाएगा।

इसके तुरंत पश्चात्, पेश किया हुआ माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची सूचना पट पर लगायी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में किसी विसंगति का पता चलता है, तो वे कृपया इसे तत्काल पटल अधिकारी की जानकारी में लाएं।''

बीस कटौती प्रस्ताव (संख्या 199, 200, 211, 212, 291 से 302 और 317 से 320) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रताप सिंह बाजवा

*2. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

*3. श्री भाउसाहेब आर॰ वाकचौरे

*4. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

*5. श्री हरिभाऊ माधव जावले

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

6. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*7. श्री जगदम्बिका पाल

*8. श्री के॰सी॰ सिंह बाबा

*9. श्री रमेन डेका

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.37 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

10. श्रीमती सुप्रिया सुले

*11. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमान पाटसाणी

*12. श्री सोहन पोटाई

*13. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा

*14. श्रीमती सुस्मिता बाउरी

15. डॉ॰ रामचन्द्र डोम

*16. श्री पी॰डी॰ राय

*17. श्री हरिशचंद्र चव्हाण

*18. श्री सी॰आर॰ पाटील

19. श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी

*20. श्री समीर भुजबल

21. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

22. श्री के॰डी॰ देशमुख

*23. श्री बृजभूषण शरण सिंह

*24. डॉ॰ निलेश एन॰ राणे

*25. श्री यशवंत सिन्हा

*26. श्री किसनभाई वी॰ पटेल

*27. श्री आर॰के॰ सिंह पटेल

28. श्री लालू प्रसाद

*29. श्री रमेश बैस

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

30. श्री नीरज शेखर
31. श्री भूदेव चौधरी
32. श्री राजय्या सिरिसिल्ला
*33. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
34. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
35. श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा
36. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
*37. श्री संजय सिंह चौहान
38. श्री शिवराम गौडा
39. श्री सुशील कुमार सिंह
*40. श्री कैसर जहां
*41. श्री पी॰टी॰ थॉमस
*42. श्री संजय दिना पाटील
*43. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

कुमारी ममता बनर्जी ने संयुक्त चर्चा का उत्तर दिया।

श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा द्वारा कुमारी ममता बनर्जी की ओर से पेश किया गया निम्नलिखित संकल्प स्वीकृत हुआ:—

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के पहले प्रतिवेदन जिसे 10 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 55, 56, 57, 58 और 62 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6 से 13 और 16 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) के संबंध में सभी लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16 की लेखानुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृति हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**11.सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*विनियोग (रेल) विधेयक, 2011*

**12.सरकारी विधेयक—पारित**

*विनियोग (रेल) विधेयक, 2011*

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

**13.सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011*

**14.सरकारी विधेयक—पारित**

*विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011*

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#अपराह्न 5.30 बजे

*(लोक सभा मंगलवार,* 8 *मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

#अपराह्न 4.11 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6939LS(S3)—07-03-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

**मंगलवार, 8 मार्च, 2011/17 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 146**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नार्थ-ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ-ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2क की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2988(अ) जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कपास के बीज को आवश्यक वस्तु के रूप में पुन: शामिल किए जाने के संबंध में वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 जो 20 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी॰ 1(1)/2009 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 13 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 13(1)/2010-बीसी में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010 जो 23 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी॰ 1(4)/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (बजट प्राक्कलन) विनियम, 2010 जो 23 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 04/01/2010/यूडी/एमबी/18305-06 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2009-10) के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2009-2010) के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2009-10) के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2009-10) के पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

**6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

**7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'जूट क्षेत्र का विकास' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 16वां प्रतिवेदन।

**8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'एचएमटी की इकाइयों की रूग्णता के कारण कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं' के बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के 40वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों' के बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

**9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने ''अनुदानों की मांगों (2010-11)'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''केरोसिन तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, उनकी आपूर्ति, संवितरण, डीलरशिप और मूल्य निर्धारण'' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) ''अनुदानों की मांगों (2009-10)'' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

**11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 104) के बारे में 219वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 230वां प्रतिवेदन।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 105) के बारे में 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 231वां प्रतिवेदन।

(3) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 57) के बारे में 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 232वां प्रतिवेदन।

(4) उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 58) के बारे में 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 233वां प्रतिवेदन।

**12. प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 7 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.07 बजे

**13. सदस्यों द्वारा निवेदन**

*अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में निवेदन किया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. डॉ॰ गिरिजा व्यास
3. श्री बसुदेव आचार्य
4. डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार
5. श्री मुलायम सिंह यादव
6. श्री शरद यादव
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्री तथागत सत्पथी
9. श्री आनंदराव अडसुल
10. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
11. श्री प्रबोध पांडा
12. डॉ॰ बलीराम
13. श्री एस॰ सेम्मलई
14. श्री नामा नागेश्वर राव

*अपराह्न 12.54 बजे से अपराह्न 1.08 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित सदस्य भी सहयोजित हुए:—

1. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
2. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
3. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
4. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
5. श्रीमती प्रिया दत्त
6. श्रीमती अन्नू टन्डन
7. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
8. डॉ॰ ज्योति मिर्धा
9. डॉ॰ प्रभा किशोर ताविआड
10. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
11. डॉ॰ राजन सुशान्त
12. श्री अर्जुन मेघवाल
13. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
14. श्री शेख सैदुल हक
15. श्री खगेन दास
16. डॉ॰ रामचन्द्र डोम

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया

तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष ने स्वयं को भी सदस्यों की भावनाओं के साथ सहयोजित किया।

*(लोक सभा अपराह्न 1.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.02 बजे

**14. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जितेन्द्र सिंह मलिक द्वारा समाज में सामाजिक मूल्यों के पतन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यों के कार्यान्वयन को सुगम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पी॰एल॰ पुनिया द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पदोन्नति और वरिष्ठता का लाभ देने के लिए संविधान के संगत उपबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुरेश काशीनाथ तवारे द्वारा महाराष्ट्र राज्य विशेषकर भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा ईस्ट कोस्ट रोड के समानांतर चेन्नई से पुडुचेरी के बीच एक रेलवे लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप के द्वीपसमूह में प्रस्तावित खारे पानी को मीठा बनाने के संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड में देवघर को एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा देश में सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सीजीएचएस औषधालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए राज्य के खगड़िया जिले में कोसी नदी पर एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा यथा-मूल्य आधार पर कोयले पर रॉयल्टी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गजानन डी॰ बाबर द्वारा देश के छावनी क्षेत्रों में रह रहे असैनिक लोगों को पर्याप्त नागरिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल के अंतर्गत बोदीनैकानपट्टी में पुल संख्या 244 को मजबूत करने तथा इसे आरसीसी बॉक्स पुल में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰ लिंगम द्वारा तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तेनकासी और राजापालयम शहरों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा बिहार को गंगा नदी का जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथा राज्य में भूमि कटाव को रोकने के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जोस के॰ मणि द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

**15. (एक) बजट (सामान्य)—2011-12;**

**(दो) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-11**

आबंटित समय: 10 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 4 मिनट

शेष: 5 घंटे 56 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा की गई:—

(एक) बजट (सामान्य)—2011-12 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 7, 9, 11 से 23, 26, 29 से 33, 35, 40 से 43, 45 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 74, 77, 79 से 81, 83 से 88, 90, 92 से 98, 100 और 103 से 105।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डा॰ मुरली मनोहर जोशी
2. श्री संदीप दीक्षित
3. श्री अखिलेश यादव

4. श्री मंगनी लाल मंडल
5. डॉ॰ रत्ना डे नाग
6. श्री लालू प्रसाद
7. श्री आर॰ थामराईसेलवन
8. श्री बंस गोपाल चौधरी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री अधलराव शिवाजी पाटील
11. श्री संजय सिंह चौहान
12. डा॰ रतन सिंह अजनाला

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.01 बजे

*(लोक सभा बुधवार, 9 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

*सायं 6.08 बजे से सायं 7.01 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—6971LS(S3)—08-03-2011.

**दिनांक 7.03.2011 के समाचार—भाग 1 की संख्या 145 का शुद्धिपत्र**

| पृष्ठ सं॰ | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़ा जाए |
|---|---|---|---|
| 14 | क्रम सं॰ *9 के पश्चात् क्रम सं॰ *10 श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी जोड़ा जाए। | | |
| 15 | 11 | श्री कैसर जहां | श्रीमती कैसर जहां |
| 15 | पंक्ति संख्या 22 ''पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।'' को पंक्ति संख्या 25 के पश्चात् रखा जाए। | | |
| 15 | 26 | लेखानुदानों की मांग संख्या | अनुदानों की मांग संख्या |
| 15 | 27 | लेखानुदानों | अनुदानों |

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

**बुधवार, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 147**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) *दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की कथित हत्या के बारे में*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की कथित हत्या के बारे में निवेदन किया।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

*(दो) *सोमाली जल दस्युओं द्वारा भारतीयों को बन्धक बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में*

श्रीमती सुषमा स्वराज ने सोमाली जल दस्युओं द्वारा भारतीयों को बन्धक बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

#श्री एस॰एम॰ कृष्णा ने भी उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 181—186 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 187—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#अपराह्न 12.23 बजे।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2809(अ) जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2010 को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 59(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

**दसवीं लोक सभा**

| | |
|---|---|
| 1. विवरण संख्या उनचास | पहला सत्र, 1991 |
| 2. विवरण संख्या बावन | तीसरा सत्र, 1992 |
| 3. विवरण संख्या अड़तीस | पाँचवां सत्र, 1992 |

**बारहवीं लोक सभा**

| | |
|---|---|
| 4. विवरण संख्या छियालीस | दूसरा सत्र, 1998 |
| 5. विवरण संख्या चालीस | तीसरा सत्र, 1998 |

**तेरहवीं लोक सभा**

| | |
|---|---|
| 6. विवरण संख्या पैंतालीस | दूसरा सत्र, 1999 |
| 7. विवरण संख्या पचास | तीसरा सत्र, 2000 |

| | |
|---|---|
| 8. विवरण संख्या चवालीस | चौथा सत्र, 2000 |
| 9. विवरण संख्या अड़तालीस | छठा सत्र, 2001 |
| 10. विवरण संख्या छत्तीस | नौवां सत्र, 2002 |
| 11. विवरण संख्या तीस | ग्यारहवां सत्र, 2002 |
| 12. विवरण संख्या अठाईस | चौदहवां सत्र, 2003 |

**चौदहवीं लोक सभा**

| | |
|---|---|
| 13. विवरण संख्या पच्चीस | दूसरा सत्र, 2004 |
| 14. विवरण संख्या तेईस | तीसरा सत्र, 2004 |
| 15. विवरण संख्या चौबीस | चौथा सत्र, 2005 |
| 16. विवरण संख्या इक्कीस | पांचवां सत्र, 2005 |
| 17. विवरण संख्या बीस | छठा सत्र, 2005 |
| 18. विवरण संख्या बीस | सातवां सत्र, 2005 |
| 19. विवरण संख्या सत्रह | आठवां सत्र, 2006 |
| 20. विवरण संख्या सत्रह | नौवां सत्र, 2006 |
| 21. विवरण संख्या सोलह | दसवां सत्र, 2007 |
| 22. विवरण संख्या चौदह | ग्यारहवां सत्र, 2007 |
| 23. विवरण संख्या तेरह | बारहवां सत्र, 2007 |
| 24. विवरण संख्या ग्यारह | तेरहवां सत्र, 2008 |
| 25. विवरण संख्या नौ | चौदहवां सत्र, 2008 |
| 26. विवरण संख्या आठ | पंद्रहवां सत्र, 2009 |

**पंद्रहवीं लोक सभा**

| | |
|---|---|
| 27. विवरण संख्या सात | दूसरा सत्र, 2009 |
| 28. विवरण संख्या पांच | तीसरा सत्र, 2009 |
| 29. विवरण संख्या पांच | चौथा सत्र, 2010 |
| 30. विवरण संख्या दो | पांचवां सत्र, 2010 |
| 31. विवरण संख्या एक | छठा सत्र, 2010 |

(11) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 18(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) वर्ष 2011-2012 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2011-2012 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), नागालैंड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), नागालैंड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) औरोविले फाउंडेशन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग जबलपुर, जबलपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग जबलपुर, जबलपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग जबलपुर, जबलपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सुरतकल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सुरतकल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 7 मार्च, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 7 मार्च, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

**6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.28 बजे

**8. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री मानिक टैगोर द्वारा राष्ट्रीय सफल बीमा योजना में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा संघर्षरत लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बदनवल गांव में खादी और ग्राम उद्योगों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष विकास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले को निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के लिए निधियां संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सतपाल महाराज द्वारा पूरे देश में विशेषकर उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निजी विद्यालयों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा सिद्धमुख-नहर सिंचाई परियोजना के लिए राबी-व्यास नदी के अतिरिक्त जल से राजस्थान को उसका उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पात्र लोगों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण का समुचित संवितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्य को पर्याप्त विद्युत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव द्वारा बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर में सड़कों, रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स और पार्कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो॰ शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की बन्द पड़ी इकाई को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने हेतु पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री हसन खान द्वारा जम्मू-कश्मीर के कारगिल में एलपीजी एजेंसी खोलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.30 बजे

**9. (एक) बजट (सामान्य)—2011-2012;**

**(दो) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-11**

लिया गया समय: 10 घंटे 4 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदों पर आगे संयुक्त चर्चा की गई:—

(एक) वर्ष 2011-2012 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।

(दो) वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 5, 7, 9, 11 से 23, 26, 29 से 33, 35, 40 से 43, 45 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 74, 77, 79 से 81, 83 से 88, 90, 92 से 98, 100 और 103 से 105

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
3. डॉ॰ बलीराम
4. श्रीमती सुप्रिया सुले
5. श्री नामा नागेश्वर राव

*6. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*7. मो॰ मौलाना असरारूल हक

*8. श्री पकौड़ी लाल

*9. श्री ए॰एच॰ खान चौधरी

10. श्री शिवकुमार उदासी

*11. श्री रमेन डेका

*12. श्री राम सिंह कस्वां

13. डॉ॰ ज्योति मिर्धा

*14. श्री गणेश सिंह

15. श्री शैलेन्द्र कुमार

16. श्री दारा सिंह चौहान

*17. डॉ॰ भोला सिंह

*18. श्रीमती रमा देवी

*19. श्री गजानन डी॰ बाबर

20. डॉ॰ अर्जुन राय

21. डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार

*22. श्री पी॰ कुमार

23. श्री लालजी टन्डन

*24. पी॰सी॰ मोहन

*25. श्री अशोक अर्गल

*26. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे

*27. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

28. श्री विजय बहुगुणा

*29. श्री वीरेन्द्र कुमार

*30. डॉ॰ महबूब बेग

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*31. श्री सतपाल महाराज

32. श्री सी॰ शिवासामी

*33. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर

34. एडवोकेट ए॰ सम्पत

*35. श्री अहीर विक्रमभाई अर्जनभाई मादम

36. श्री राधा मोहन सिंह

*37. श्री हरिभाऊ माधव जावले

38. श्री पी॰एल॰ पुनिया

*39. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*40. श्री बालकृष्ण के॰ शुक्ला

*41. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

*42. श्रीमती ज्योति धुर्वे

43. श्री एच॰डी॰ देवगौडा

*44. श्री रतन सिंह

*45. श्री रुद्रमाधव राय

46. श्री पी॰ लिंगम

*47. श्री सी॰आर॰ पाटिल

48. श्री एस॰डी॰ शारिक

*49. श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद

50. श्री नरहरि महतो

51. श्री असादूद्दीन ओवेसी

52. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी

*53. श्री जय प्रकाश अग्रवाल

*54. श्रीमती प्रिया दत्त

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

55. श्री अधीर रंजन चौधरी

*56. श्री चंदूलाल साहू

*57. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

*58. श्री रमेश बैस

59. श्री हसन खान

*60. श्री के॰सी॰ सिंह 'बाबा'

*61. श्री पी॰टी॰ थामस

*62. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

*63. श्री घनश्याम अनुरागी

64. श्री एल॰ राजगोपाल

65. डॉ॰ तरूण मंडल

*66. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहान

*67. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

68. श्रीमती अन्नू टन्डन

*69. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

*70. श्री अर्जुन मेघवाल

71. श्री ओम प्रकाश यादव

*72. प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर

73. श्री नारायण सिंह अमलाबे

*74. श्री कमल किशोर कमांडो

*75. श्री नारनभाई कछाड़िया

*76. श्री रामसिंह राठवा

*77. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*78. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

79. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी
80. श्रीमती श्रुति चौधरी
*81. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
82. श्री विनय कुमार पाण्डेय
*83. श्री राजाराम पाल
*84. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक
*85. श्री विजय बहादुर सिंह
*86. श्री कपिल मुनि करवारिया
*87. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
*88. श्री हंसराज गं॰ अहीर
*89. श्री भूदेव चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 7.13 बजे

*(लोक सभा गुरुवार,* 10 *मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 6.31 बजे से सायं 7.13 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7022LS(S3)—09-03-2011.

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

**गुरुवार, 10 मार्च, 2011/19 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 148**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य तथा बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बलीराम कश्यप के निधन के बारे में उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

**2. प्रश्न**

निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा के स्थगित हो जाने के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 201—220 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार, 11 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—7053LS(S3)—10-03-2011.

# लोक सभा

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

**शुक्रवार, 11 मार्च, 2011/20 फाल्गुन, 1932 (शक)**

**संख्या 149**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 225—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-12 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2011-12 के लिए वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-एक)।

(दो) वर्ष 2011-12 के लिए गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खण्ड-दो)।

(तीन) वर्ष 2011-12 के लिए गृह मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2011-12 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इम्फाल की वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मतदाताओं का पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 23 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मतदाताओं का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 जो 3 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 244(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धि पत्र 9 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 306(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2011, जो 23 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 425(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ''राष्ट्रीय मतदाता दिवस'' के रूप में घोषित किए जाने के बारे में अधिसूचना संख्या एच॰-11019/12/2010-एल॰ई॰जी॰-दो, जो दिनांक 21 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-12 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का परिणामी बजट।

(15) वर्ष 2011-2012 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का परिणामी बजट।

(17) वर्ष 2011-2012 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) अन्तरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 53(अ) जो 28 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिकरण में असेसर की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद नियम, 1959 में नया खण्ड जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-12 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलिमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलिमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एसएएस नगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-12 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।

(27) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) वूल एण्ड वुलेन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वुलेन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2978(अ) जो 20 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो समय-समय पर जारी 25 पैसे और उससे कम अंकित मूल्य के सिक्कों को परिचालन से 30 जून, 2011 से वापस लिए जाने के बारे में है और इस तारीख से ये सिक्के संदाय अथवा खातों के लिए विधिमान्य मुद्रा के रूप में नहीं रहेंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 15क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें वापस लिए जाने की प्रक्रिया अलग से अधिसूचित करेगा।

(46) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत **''आयकर-भारत निर्माण का 150 वर्ष''** के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पचास रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 जो 15 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 94(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी (संशोधन) नियम, 2011 जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 80(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 81(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 84/2010-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 977(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 97/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 2850(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 2784(अ) जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर क्रूड पॉम ऑयल, आरबीडी पॉम ऑयल, अन्य-पॉम ऑयल, क्रूड पामोलिन, ब्रास क्रैप (सभी ग्रेड) और पॉप्पी सीड्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 2870(अ) जो 30 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर क्रूड पॉम ऑयल, आरबीडी पॉम ऑयल, अन्य-पॉम ऑयल, क्रूड पामोलिन, ब्रास क्रैप (सभी ग्रेड) और पॉप्पी सीड्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 2940(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर क्रूड पॉम ऑयल, आरबीडी पॉम ऑयल, अन्य-पॉम ऑयल, क्रूड पामोलिन, ब्रास क्रैप (सभी ग्रेड) और पॉप्पी सीड्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 3054(अ) जो 29 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 3078(अ) जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर क्रूड पॉम ऑयल, आरबीडी पॉम ऑयल, अन्य-पॉम ऑयल, क्रूड पामोलिन, ब्रास क्रैप (सभी ग्रेड) और पॉप्पी सीड्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 77(अ) जो 14 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर क्रूड पॉम ऑयल, आरबीडी पॉम ऑयल, अन्य-पॉम ऑयल, क्रूड पामोलिन, ब्रास क्रैप (सभी ग्रेड) और पॉप्पी सीड्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 176(अ) जो 27 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 197(अ) जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर क्रूड पॉम ऑयल, आरबीडी पॉम ऑयल, अन्य-पॉम ऑयल, क्रूड पामोलिन, ब्रास क्रैप (सभी ग्रेड) और पॉप्पी सीड्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 108(अ) जो 24 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 208/1977-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 742(अ) जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिल्ली और सहर, मुंबई (बम्बई) के सीमा-शुल्क विमानपत्तनों को ''सीमा-शुल्क विमानपत्तनों'' के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 743(अ) जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 36/2009-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 908(अ) जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 15/2002-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गों की संभलाई संशोधन विनियम, 2010 जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 909(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(48) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) श्रेयस ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएमएच-30/3065/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एसजीबीएचओ पर 38 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 264 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ:एचआरडी/2010/2852 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 16 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 260 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीपीजीबी 10 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 241 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 24 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ वीकेजीबी 10 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 8 अक्तूबर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 40 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) राजस्थान ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 15 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 304 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 26 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीजीजीबी 10 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 29 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीकेजीबी/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) झारखण्ड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) नीलांचल ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 19 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 11 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 255 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 29 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीजीबी॰/ 2010 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 16 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 261 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 268 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) पल्लवन ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 266 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) इलाकाई देहाती बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 292 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 290 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) देना गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 16 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 262 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) पुडुवई भारतियार ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 265 में प्रकाशित हुए थे।

(सताईस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलआर सं॰ 099/3/जी/27/62 में प्रकाशित हुए थे।

(अठाईस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 281 में प्रकाशित हुए थे।

(उनत्तीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 267 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 5 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 44 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 20 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 330 में प्रकाशित हुए थे।

(49) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2010 जो 5 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(50) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 102(अ) जो 18 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 45/2001-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 96(अ) जो 17 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्माण कार्य में प्रयोग के लिए निर्माण के स्थान पर 1 मार्च, 2006 से 6 जुलाई, 2009 की अवधि के दौरान विनिर्मित माल

को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(51) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2799(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए मोर्फीन, कोडीन, थिबैन और उनके लवणों का आयात करने तथा विश्लेषणात्मक प्रयोजनों हेतु एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल एक किलोग्राम से अनधिक मोर्फीन, कोडीन और थिबैन तथा उनके लवणों की अल्प मात्राओं में आयात करने के लिए, उसमें उल्लिखित आठ विनिर्माताओं को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2800(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 67घ तथा नियम 67(ङ) के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2801(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 67(ङ) के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नारकोटिक्स कमिश्नर, सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(52) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2977(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स आर्यन कार्गो एक्सप्रेस (पी) तथा डेकन कार्गो एवं एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को ''डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर'' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 2710(अ) जो 4 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा धारा 5 की उक्त उपधारा के प्रयोजनार्थ ''डेजिग्नेटेड

इंडियन कैरियर'' के रूप में घोषणा करने के लिए स्पाइसजेट को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(53) (एक) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 की वार्षिक समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति के बारे में, 30 जून, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) वर्ष 2011-2012 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 337(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2010 जो 20 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 985(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 38(अ) जो 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित 11 व्यक्तियों से मिलकर एक गुणवत्ता पुनरीक्षा बोर्ड का गठन करना है।

(दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/61/2010, जो 29 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखापरीक्षित लेखे और प्रतिवेदन दिए गए हैं।

(69) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2011-2012 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2011-2012 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(71) भारतीय सर्वेक्षण संपदा नियम, 1999 में सरकारी आवास आवंटन के अधिक्रमण में मौलिक नियमों के नियम 45 के अंतर्गत जारी भारतीय सर्वेक्षण संपदा में सरकारी आवास आवंटन नियम, 2011 जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2011-2012 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2011-2012 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(पांच) वर्ष 2011-2012 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(छह) वर्ष 2011-2012 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(सात) वर्ष 2011-2012 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(आठ) वर्ष 2011-2012 के लिए योजना आयोग का परिणामी बजट।

**4. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री विलास मुत्तेमवार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ महेश जोशी ने राष्ट्रीय संग्रहालय के कार्यकरण के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 167वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) विदेश मंत्री ने समुद्री डकैती के मुद्दे के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

**7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 14 मार्च, 2011 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.20 बजे

**8. (एक) बजट (सामान्य)—2011-12;**

**(दो) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-11**

लिया गया समय: 11 घंटे 10 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा की गई:—

(एक) बजट (सामान्य)—2011-12 पर सामान्य चर्चा;

(दो) 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 7, 9, 11 से 23, 26, 29 से 33, 35, 40 से 43, 45 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67 से 74, 77, 79 से 81 83 से 88, 90, 92 से 98, 100 और 103 से 105।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी
3. श्री हरीश चौधरी
4. श्री श्रीपाद येसो नाईक
5. श्री इज्यराज सिंह
6. श्री रघुबीर सिंह मीणा
7. श्री एम॰ आनंदन
8. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री खगेन दास

10. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा
11. श्री प्रेमदास कथीरिया
12. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल
13. श्री लक्ष्मण टुडु
14. श्री यशवंत एन॰एस॰ लागुरी
15. श्री दत्ता मेधे
16. श्री पी॰डी॰ राय
17. श्री राकेश सचान
18. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
19. श्री कौशलेन्द्र कुमार

श्री प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें (सामान्य) संख्या 1 से 5, 7, 9, 11 से 23, 26, 29 से 33, 35, 40 से 43, 45 से 51, 53 से 55, 57 से 62, 64 65, 67 से 74, 77, 79 से 81, 83 से 88, 90, 92 से 98, 100 और 103 से 105 वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के कालम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

**9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*विनियोग विधेयक, 2011*

**10. सरकारी विधेयक—पारित**

*विनियोग विधेयक, 2011*

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

*(लोक सभा अपराह्न 1.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत् हुई)*

*अपराह्न 2.33 बजे

**11. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) *राज्य सरकारों को धनराशि जारी करने हेतु सरकारिया आयोग द्वारा निर्धारित रीतियों का पालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री शरद यादव ने राज्य सरकारों को धनराशि जारी करने हेतु सरकारिया आयोग द्वारा निर्धारित रीतियों का पालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
2. श्री गणेश सिंह
3. प्रो॰ शेख सैदुल हक
4. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
5. श्री मंगनी लाल मंडल
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अशोक अर्गल
8. श्री वीरेन्द्र कुमार
9. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
10. श्री अर्जुन मेघवाल

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(दो) *औद्योगिक, खनन और कोयला क्षेत्रें में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के लिए भूमि से बेदखल किए गए लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री हंसराज गं॰ अहीर ने औद्योगिक, खनन और कोयला क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने के लिए भूमि से बेदखल किए गए लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

---

*अपराह्न 2.33 बजे से अपराह्न 3.46 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री अर्जुन मेघवाल सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 3.47 बजे

**12. प्रस्ताव**

श्री रतन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा क्रमश: 3 और 9 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें और 15वें प्रतिवेदनों से सहमत है।''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**13. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित**

(1) कुमारी सरोज पाण्डेय का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (*अनुच्छेद 51क का संशोधन*)

(2) कुमारी सरोज पाण्डेय का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (*अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन*)

(3) श्री हंसराज गं॰ अहीर का ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2010

(4) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (*अनुसूची का संशोधन*)

(5) श्री हंसराज गं॰ अहीर का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (*धारा 2, आदि का संशोधन*)

(6) श्री हंसराज गं॰ अहीर का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010

(7) कुमारी सरोज पाण्डेय का महिला अधिकारिता विधेयक, 2010

(8) श्री राजू शेट्टी का राष्ट्रीय कृषि उपज मूल्य आयोग विधेयक, 2011

(9) श्री एल॰ राजगोपाल का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2011 (*धारा 7, आदि का संशोधन*)

(10) श्री अर्जुन मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (*अनुच्छेद 124 और 216 का संशोधन*)

(11) श्री अर्जुन मेघवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (*नए अनुच्छेद 330क आदि का अंत:स्थापन*)

(12) *श्री अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रीय युवक आयोग विधेयक, 2011

अपराह्न 3.56 बजे

**14. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया**

*श्री बैजयंत पांडा का अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009*

श्री वैजयंत पांडा ने 25 फरवरी, 2011 को उनके द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अपना भाषण पूरा किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्री निशिकांत दुबे
3. श्री अधीर रंजन चौधरी
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
7. श्री जे॰ पी॰ अग्रवाल
8. श्री अर्जुन मेघवाल
9. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
10. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

श्री वैजयंत पांडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

---

*अपराह्न 4.22 बजे

सायं 6.08 बजे

**15. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन**

*प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 275अ और 371ञ का अंत:स्थापन)*

प्रो॰ रंजन प्रसाद यादव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.15 बजे

*(लोक सभा सोमवार,* 14 *मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—7092LS(S3)—11-03-2011.

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**सोमवार, 14 मार्च, 2011/23 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 150**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने 11 मार्च, 2011 को जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर आए 9 तीव्रता वाले भयंकर भूकंप के कारण आई विनाशकारी सुनामी, हजारों लोगों की दुःखद मृत्यु और बड़े पैमाने पर संपत्ति की क्षति के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 241 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.12 *बजे स्थगित हुई तथा मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 242—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

***3. सदस्य द्वारा निवेदन**

*चंडीगढ़ में बूथों के आवंटन में कथित अनियमितताओं में एक कैबिनेट मंत्री के कथित रूप से शामिल होने के बारे में*

श्रीमती सुषमा स्वराज ने चंडीगढ़ में बूथों के आवंटन में कथित अनियमितताओं में एक कैबिनेट मंत्री के कथित रूप से शामिल होने के बारे में निवेदन किया।

#श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

मध्याह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **:—**

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

(2) वर्ष 2011-2012 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **:—**

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए ऊर्जा मंत्रालय का परिणामी बजट।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **:—**

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।

---

*पूर्वाह्न 11.05 बजे।

#अपराह्न 12.09 बजे और अपराह्न 2.25 बजे।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2011-2012 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) वर्ष 2011-2012 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत जारी का॰आ॰ 2763(अ) जो 10 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 394(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य

सदस्यों के वेतन, भत्ते और निबंधन और अन्य सेवा शर्तें तथा जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 927(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए इस्पात मंत्रालय का परिणामी बजट।

(13) वर्ष 2011-2012 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14)(एक) चेन्नई इन्वायर्नमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य वित्तीय नियम के नियम 212(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई इन्वायर्नमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16)(एक) चेन्नई इन्वायर्नमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य वित्तीय नियम के नियम 212(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई इन्वायर्नमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18)(एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत गैस सिलिंडर (संशोधन) नियम, 2010 जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत ताजे, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) संशोधन नियम, 2010 जो 21 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 143(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25)(एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2860(अ) और का॰आ॰ 2861(अ) जो 29 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1713(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1715(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1866(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1867(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपट्टिनम-तंजावूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2052(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बंगलौर-सेलम-मदुरई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2269(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली–वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2310(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 2311(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1354(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 2559(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि–वालजापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2728(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपट्टिनम–तंजावूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 2733(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1813(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का॰आ॰ 2803(अ) जो 18 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम–उलुंडूरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 2914(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 एक्सटेंशन (डिंडीगुल–थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2915(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंडूरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2918(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडीगुल से थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 159(अ) जो 24 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1740(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का॰आ॰ 160(अ) जो 24 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-टाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 200(अ) जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडीगुल से थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2845(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1539(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 6 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 762(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(बाईस) का॰आ॰ 1698(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 6 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 768(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फायनांस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फायनांस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फायनांस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फायनांस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) वर्ष 2011-2012 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) वर्ष 2009-2010 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

* अपराह्न 12.04 बजे

**5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 155वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) जल संसाधन मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की ओर से जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ''जलभराव और जलनिकासी प्रणाली'' के बारे में श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा 3 मार्च, 2011 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 106 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 93वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.40 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

**अपराह्न 2.31 बजे

**6. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री महाबल मिश्रा द्वारा देश के विभिन्न भागों से आए और मेट्रो शहरों में निवास करने वाले युवाओं को मतदान पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

**अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 2.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत सभी बी॰ पी॰ एल॰ परिवारों को इसमें शामिल करने के लिए इस योजना के अंतर्गत बजट को आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश में वारंगल और आस-पास के क्षेत्रों को मेगा टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में विद्यार्थियों को तकनीकी/उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से शैक्षणिक ऋण प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर जिले में शाम चौरासी के कांडी क्षेत्र में जंगली जानवरों के खतरे से बचाव की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में किशोरों की साक्षरता दर और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती दर्शना वी॰ जरदोश द्वारा देश में विदेशियों को अनुमेय सीमा से अधिक समय तक ठहरने से रोकने के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बुनकरों के कल्याण के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती जयश्री बेन पटेल द्वारा देश में नदियों को साफ करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत गांवों में प्रयोग के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर और भूपौली पम्प नहरों का नवीकरण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे स्नान घाटों का निर्माण और उन्हें सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के विद्यमान राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित और घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री खगेन दास द्वारा त्रिपुरा में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को भुगतान किए जाने वाले मानदेय की प्रतिपूर्ति करने तथा त्रिपुरा राज्य में सभी एसपीओ को वर्धित मानदेय का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जयंत चौधरी द्वारा देश में लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत कुशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 2.32 *बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न* 3.00 *बजे पुन समवेत हुई।*)

अपराह्न 3.00 बजे

**7. प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य**

प्रधान मंत्री ने जापान में आए भूकंप और सुनामी के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 3.06 बजे

**8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू करने से पहले, मुझे एक अन्य संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की विस्तृत मांगों शुक्रवार, 11 मार्च, 2011 को सभा पटल पर रखी गई थी। इस मंत्रालय का परिणामी बजट आज ही सभा पटल पर रखा गया है। आज सदस्यों को मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन, केवल अंग्रेजी संस्करण भी परिचालित किया जा रहा है।

यद्यपि, ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन और परिणामी बजट के अभाव में उस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होने से निषिद्ध करे, तथापि, मेरी भी यह राय है कि अनुदानों की विस्तृत मांगों सहित इन दस्तावेज को सदस्य को पर्याप्त समय रहते पहले ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें उनका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अत:, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालयों जिनकी मांगों पर सभा में चर्चा की जानी है, की विस्तृत मांगों परिणामी बजटों और साथ ही वार्षिक प्रतिवेदनों को सदस्यों को पर्याप्त समय पूर्व ही उपलब्ध कराया जाए।''

अपराह्न 3.07 बजे

**9. बजट (सामान्य) — 2011-2012 — अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय: 4 घंटे 56 मिनट

वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 82 से 84 पर चर्चा आरंभ हुई।

14 कटौती प्रस्ताव (संख्या 3, 4 और 63 से 74) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्री यशवंत सिन्हा
3. श्री उदय प्रताप सिंह
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
*5. श्रीमती रमा देवी
*6. श्रीमती जयश्री बेन पटेल
*7. डा॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
*8. श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा
9. श्री जगदीश शर्मा
*10. श्री प्रेमदास राय
11. श्री आर॰ थामराईसेलवन
12. श्री पुलीन बिहारी बासके
*13. श्री दत्ता मेघे
*14. श्री अर्जुन राम मेघवाल
15. श्री रूद्रमाधव राय
*16. श्री जगदम्बिका पाल
17. श्रीमती भावना गवली पाटील
18. श्री सी॰ शिवासामी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19. श्री नामा नागेश्वर राव
20. श्री प्रबोध पांडा
21. श्री जगदानंद सिंह
*22. श्री पन्ना लाल पुनिया
*23. श्री परमजीत कौर गुलशन
24. श्री एच॰ डी॰ देवेगौड़ा
25. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
*26. श्री वीरेन्द्र कुमार
27. श्री हरीश चौधरी
28. श्री राजू शेट्टी
29. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
30. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू
*31. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
32. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी
33. श्री नीरज शेखर
34. श्री प्रदीप टम्टा
35. श्रीमती मीना सिंह
36. श्री प्रेमचन्द गुड्डू
37. श्री कमल किशोर कमांडो
*38. श्री तूफानी सरोज
*39. श्री कौशलेन्द्र कुमार
*40. डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
41. श्री मदन लाल शर्मा

श्री विलासराव देशमुख ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 82 से 84 (राजस्व लेखा) वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की मांगों —बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के कालम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

#रात्रि 8.42 बजे

*(लोक सभा मंगलवार, 15 मार्च, 2011 पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

#रात्रि 8.03 से रात्रि 8.42 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7164LS(S3)—14-03-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**मंगलवार, 15 मार्च, 2011/24 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 151**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने जोधपुर, राजस्थान के एक अस्पताल में संदूषित इंट्रावीनस फ़्लुइड के इंजेक्शन के कारण 17 महिलाओं की मृत्यु के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, तंजावूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, तंजावूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बंगलौर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, सामान्य नियम, 2010 जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 767(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2011-2012 के लिए संस्कृति मंत्रालय का परिणामी बजट।

(8) वर्ष 2011-2012 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

(10) वर्ष 2011-2012 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2011-2012 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद्, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1990-1991 से 1997-1998 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1944 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (लेखाओं का अनुरक्षण) विनियम, 2010 जो 10 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/47/2010/यूडी/एमबी/334-335 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए अंतरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

(15) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) वर्ष 2011-2012 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 7 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 956(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धनशोधन निवारण (संव्यवहार की प्रकृति एवं मूल्य के अभिलेख का रखरखाव, कार्यपद्धति एवं रखरखाव का तरीका और सूचना देने का समय तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान के रिकार्ड की जांच एवं रखरखाव) तीसरा संशोधन नियम, 2010 जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 980(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 68(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 94/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 69(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भुत अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कार्बोनेट के आयात पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 154(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 139(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 77(अ) जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट

परिषद विश्व कप 2011 के आयोजन के सम्बन्ध में आयातित विनिर्दिष्ट माल को सभी सीमा शुल्कों से पूर्णतया छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 91(अ) जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बांग्लादेश से आयातित उसमें उल्लिखित जूट उत्पादों को उद्ग्राह्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 155(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फिल्टर सिगरेट विनिर्माताओं से इतर एसिटेट टाउ और फिल्टर छड़ों के आयात का प्रतिषेध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 156(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 26/2002-सी॰शु॰(एनटी) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 157(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 76/2003-सी॰शु॰(एनटी) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 140(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/1999-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 141(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 142(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 14/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 143(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 144(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 45/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 145(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 23/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 146(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 147(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 148(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 28/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 149(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 29/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 150(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताम्र सांद्र में अंतर्विष्ट स्वर्ण और रजत को आधारभूत सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 151(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पैकेज साफ्टवेयर को अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 152(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कला के कार्यों को सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 153(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात शुल्कों के लिए प्रभावकारी दरों को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 93(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 13/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(24) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए संरचना स्कीम) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 158(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (मूल्य अवधारण) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 159(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 160(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 161(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 26/2010-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 162(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कारबार प्रदर्शनी के किसी आयोजक द्वारा भारत से बाहर कारबार प्रदर्शनी आयोजित करने पर उसे करादेय सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 163(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव आवास योजना के अधीन नए आवासिक काम्पलेक्स या उसके भाग

का सन्निर्माण करने, या नए आवासिक काम्पलेक्स या उसके भाग के समापन और परिसज्जा सेवाओं के प्रयोजनों के लिए प्रदान करने पर संकर्म संविदा के निष्पादन को करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 164(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन साधारण बीमा कारबार चलाने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रदान करने पर करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 165(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में अवस्थित किसी व्यक्ति को, जब सड़क, रेल अथवा वायुमार्ग से माल के परिवहन को भारत से बाहर अवस्थित किसी स्थान से ऐसे किसी अंतिम गंतव्य स्थान को, जो कि भारत से बाहर भी है, सेवा प्रदान करने पर करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 166(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुमार्ग से माल के परिवहन को वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर की उतनी रकम की सीमा तक जितना सीमा-शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अवधारित मूल्य में सम्मिलित विमान वस्तु भाड़ा की रकम के समान है, करादेय सेवा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 167(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकर्म संविदा के निष्पादन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को जब पूर्णतया विमानपत्तन और विमानपत्तन की करादेय सेवा के अंतर्गत वर्गीकृत सेवा के रूप में उपलब्ध कराए जाने पर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 168(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संकर्म संविदा के निष्पादन के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को जब पूर्णतया पत्तन या अन्य पत्तन के भीतर जहाज घाट, गोदी, पाड, पोतघाट, बांध और रेल के संनिर्माण, मरम्मत, परिवर्तन और नवीकरण के लिए उपलब्ध कराए जाने पर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेवा निर्यात (संशोधन) नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 169(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 170(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 171(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 26/2004-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा०का०नि० 172(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 8/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 173(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 174(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 9/2009-सेवा कर का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) कराधान बिन्दु नियम, 2011 जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 175(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 116(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट मदों पर 1% के रियायती शुल्क का इस शर्त के अध्यधीन प्रावधान करना है कि आयात किए गए माल अथवा सेवा पर कोई भी सेनवेट क्रेडिट लिया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 117(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट मदों पर 5% रियायती शुल्क का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 118(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 119(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 120(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 121(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 122(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 49/2006-के०उ०शु० का निरसन किया गया तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 123(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 124(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 59/2008-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 125(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 10/2006-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 126(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 29/2004–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 127(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 128(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अध्याय 61,62 और 63 के अंतर्गत आने वाले तैयार उत्पादों के संबंध में कार्य करने वाले कामगारों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 129(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एमआरपी आधारित आकलन के अंतर्गत न आने वाले पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 130(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 131(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पावर टिलर्स के विनिर्माण के लिए एक ही विनिर्माता के लिए आवश्यक पार्ट्स कम्पोनेंट्स, एसेम्बलीज अथवा सब–एसेम्बलीज का एक अथवा अधिक कारखानों से अन्य कारखाने में अंतर–एकक स्थानांतरण के लिए छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 132(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 76/86–के॰उ॰शु॰ में संशोधनों का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 133(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इत्र की खुदरा शोरूम पर सीधे बिक्री के लिए विनिर्माता

के कारखाने से तैयार इत्रों पर शुल्क के भुगतान का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2011 जो दिनांक 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 134(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2011 जो दिनांक 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 135(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 136(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2002-के॰उ॰शु॰ का अधिक्रमण करना है तथा धारा 11 कक के अंतर्गत ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 137(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 12 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 66/2003-के॰उ॰शु॰ का अधिक्रमण करना है तथा धारा 11 कख के अंतर्गत ब्याज की दर 18 % प्रति वर्ष नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 138(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 20/2001-के॰उ॰शु॰ (गै॰टै॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) वर्ष 2011-2012 के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) वर्ष 2011-2012 के लिए विदेश मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2974(अ) जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री दयान कृष्णन, अधिवक्ता को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 234(अ) जो 2 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री डी॰सी॰ सरकार और श्री श्यामल कुमार घोष को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के मामलों के संचालन के लिए क्रमश: विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(31) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड, उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2010, जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 789(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड आर्मरर कैडर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2010 जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 961(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(32) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल (फील्ड ऑफिसर) समूह 'ग'पद भर्ती नियम, 2010, जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 735(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल (आयुध सेवाएं) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 27 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र सीमा बल सचिवालयी सेवा समूह 'क' संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1020(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखत पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1987-1988 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 1987-1988 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) वर्ष 2011-2012 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ग्वार श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011 जो 31 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 55(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(दो) जटरोफा बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011 जो 22 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 105(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(42) पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा 44 की उपधारा (1) के अंतर्गत पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण (टीकाकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, मरणोपरांत जांच की रीति

और शव का निपटान) नियम, 2010 जो 14 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 974(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2010, जो 28 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 3052(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उर्वरक नियंत्रण (सातवां संशोधन)आदेश, 2010 जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2886(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 2724(अ), जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उल्लिखित अधिसूचित प्रयोगशालाओं द्वारा धारित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रयोगशाला सुविधाओं की आवश्यकता विनिर्दिष्ट की गई है।

(तीन) का॰आ॰ 2725(अ), जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अंतर्गत 4. सल्फरयुक्त डाई-अमोनियम फॉस्फेट का विनिर्देशन अनंतिम उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) उर्वरक नियंत्रण (छठा संशोधन)आदेश, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2726(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(45) उपर्युक्त (44) की मद संख्या (दो), (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46)* वर्ष 2011-2012 के लिए खान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 3.53 बजे

**5. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 11 मार्च, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

**6. प्राक्कलन संबंधी समिति के विवरण**

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और स्कीम' विषय पर प्राकक्लन सीमिति (15वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

**7. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत सभा पटल पर रखे:—

(1) 'नदियों को आपस में जोड़ा जाना' विषय पर ग्यारहवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-2010) पर पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

#अपराह्न 12.05 बजे

**8. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

पोत परिवहन मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

#अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.03 बजे

**9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और जल-विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड द्वारा छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कीमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मानिक टैगौर द्वारा बी॰एच॰ई॰एल॰ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा नॉर्थ-साउथ कोरिडोर परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नरसिंहपुर में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सड़कों के निर्माण को सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ चरण दास महन्त द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर, जांजगीर चम्पा और रायगढ़ जिलों में पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को देखते हुए महानदी नदी पर औद्योगिक बराज की स्थापना के प्रस्ताव को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा देश में अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्ति प्रदत्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित द्वीपों में निर्मित पोतघाट में खराबियों को ठीक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को 'हाउस लीज स्कीम' के अंतर्गत मकानों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को नर्मदा परियोजना से जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर को घरेलू हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में औद्योगिक इकाइयों के कारण बढ़ते जल और वायु प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन लोगों, की बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण संपत्ति और फसलों की क्षति हुई, को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक उप-केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल के पलक्कड जिले के ओट्टापालम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अतिरिक्त एक्स सर्विसमैन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज क्लीनिक तथा मिलिटरी कैंटीन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) एडवोकेट गणेशराव डी॰ दूधगांवकर द्वारा महिलाओं पर तेज़ाब फेंकने में शामिल दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में नदियों के कारण भूमि कटाव को रोकने के लिए एक कार्य योजना को बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

**10. बजट (सामान्य)—2011-2012—अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय: 5 घंटे 22 मिनट

विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 31 पर चर्चा आरंभ हुई।

4 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 4) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. डॉ॰ शशि थरूर
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्री शरद यादव
*6. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
*7. श्री नारनभाई कछाड़िया
*8. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
*9. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
*10. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
*11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
*12. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
13. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
*14. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
15. श्री पी॰ करुणाकरन
*16. श्री अर्जुन मेघवाल
*17. श्री पन्ना लाल पुनिया
18. श्री आर॰ थामराईसेलवन
19. श्री वैजयंत जे॰ पांडा
20. श्री चंद्रकांत खैरे
21. श्री सी॰ शिवासामी
22. श्री नामा नागेश्वर राव
*23. श्री जगदम्बिका पाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*24. श्री वीरेन्द्र कुमार

*25. श्री जगदानंद सिंह

26. श्री प्रबोध पांडा

27. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

28. श्री शेर सिंह घुबाया

29. डॉ॰ महबूब बेग

30. श्री एंटो एंटोनी

31. श्री असादूद्दीन ओवेसी

*32. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

33. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली

34. श्री हसन खान

*35. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

36. श्री जे॰एम॰ आरून रशीद

37. श्री बालकृष्ण के॰ शुक्ला

38. श्री हमदुल्लाह सैयद

39. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.18 बजे

*(लोक सभा बुधवार,* 16 *मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 7.27 बजे से रात्रि 8.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7196LS(S3)—15-03-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

**बुधवार, 16 मार्च, 2011/25 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 152**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 281, तारांकित प्रश्न संख्या 282 और 292 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 283, 284, 285, 286 और 287 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 288—291 और 293—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेस, आइजवाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेस, आइजवाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

(तीन) वर्ष 2011-2012 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(6) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

(9) वर्ष 2011-2012 के लिए वाणिज्य विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2011-2012 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2011-2012 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) वर्ष 2011-2012 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।

(18) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंग्लिश एण्ड फारेन लैग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंग्लिश एण्ड फारेन लैग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश के खण्ड 2.4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन (जी)/ओर्ड॰ 13/2005/1948 जो 22 अक्तूबर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों संबंधी अध्यादेश (अध्यादेश 13) के खण्ड 2.4 के संशोधनों जिनके द्वारा 'क्षेत्र समिति' का उन्मूलन किया गया है तथा संस्थानों/केन्द्रों/इकाइयों/अन्य के लिए इनके स्थान पर 'अनुसंधान समिति' का सृजन किया गया है, तथा परिणामी संशोधनों के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन (जी)/ओर्ड. 9/2000/1998 जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र समाप्ति परीक्षा के परिणामों की घोषणा के लिए परीक्षा के संचालन तथा छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में अध्यादेश 9 के खण्ड 9 के उपखण्ड (4) के नीचे उपखण्ड (5) के संशोधनों/परिवर्धन के बारे में है।

(42) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) पॉवरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पॉवरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

(47) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का॰आ॰ 2880(अ) जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (चरियाबाही-टियोक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2954(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 162(अ) जो 24 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(48) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(49) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अपर महानिदेशक और अपर उपमहानिरीक्षक) संशोधन भर्ती नियम, 2010 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग भर्ती दूसरा संशोधन) नियम, 2010 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 976(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(50) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुदुचेरी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुदुचेरी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

(55) वर्ष 2008 के लिए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2011-2012 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(चार) वर्ष 2011-2012 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।

(58) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 116/1/2010-एमएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 3 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 4 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(61) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट।

## 4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को शक्तियां प्रदान करना' विषय पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.06 बजे

## 5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और नागर विमानन मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित ''रेल संपत्ति और यात्रियों का संरक्षण और सुरक्षा'' पर रेल संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.11 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2009-10 और 2010-11) पर विदेशी मामलों संबंधी समिति के दूसरे और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.12 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.30 *बजे पुन:समवेत् हुई*)

*अपराह्न 12.51 बजे

**6. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पी॰ टी॰ थॉमस द्वारा एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु विधेयक के अधिनियमन में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गोंडिया जिले में लिंगोजांगो के मंदिर वाली कछाड़गढ़ गुफा को राष्ट्रीय महत्व के एक पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करने तथा इस स्थान पर मूलभूत पर्यटक सुविधाएं प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ पन्ना लाल पुनिया द्वारा सड़क दुर्घटनाएं जिनमें छोटे वाहन शामिल हैं, की घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक इकाईयों के आस-पास मुख्य सड़कों के अतिरिक्त सर्विस सड़कें प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एंटो एंटोनी द्वारा केरल में शैक्षिक वर्ष 2010-2011 के लिए मेरिट-सह-मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों को जमा करने की तारीख को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के कोटा और बून्दी जिलों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के जरिए पात्र लोगों को ऋणों का संवितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 12.51 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाए।

(7) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के तिरूवनंतपुरम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के संथाल परगना में झारखण्ड उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में गेहूं और उर्वरकों की ढुलाई के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में रेलवे रैक्स प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार नालंदा स्थित ह्वेनसांग संग्रहालय को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कलीकेश नारायण सिंह देव द्वारा बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु को कावेरी नदी से उसका जल का उचित अंश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के निकट सड़क ऊपरि पुल के निर्माण में शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरू–मैसूर राज्य राजमार्ग को छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.53 बजे

**7. बजट (सामान्य) — 2011-2012 — अनुदान की मांग**

लिया गया समय: 6 घंटे 48 मिनट

विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 31 पर आगे चर्चा जारी रही।

4 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 4) पेश किए गए।

श्री एस॰एम॰ कृष्णा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अनुदान की मांग संख्या 31 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदानों की मांगों — बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के कालम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

*(लोक सभा अपराह्न 2.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.17 बजे पुन: समवेत् हुई)*

अपराह्न 3.17 बजे

**8. बजट (सामान्य)—2011-2012—अनुदान की मांग**

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय : 2 घंटे 44 मिनट
शेष : 1 घंटा 16 मिनट

खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग सं॰ 66 पर चर्चा शुरू हुई।

3 कटौती प्रस्ताव (संख्या 25 से 27) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संजय निरुपम
2. श्री हंसराज गं॰ अहीर
*3. श्री सतपाल महाराज
*4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
*6. श्री पन्ना लाल पुनिया
*7. डॉ॰ महेन्द्र सिंह पी॰ चौहाण
*8. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*9. डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
*10. श्री नारनभाई कछाड़िया
11. श्री विजय बहादुर सिंह
12. श्री महेश्वर हजारी
13. श्री शेख सैदुल हक
14. श्री आर॰ थामराईसेलवन
15. श्री कालीकेश एन॰ सिंह देव
*16. श्री गणेश सिंह
17. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
*18. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*19. श्रीमती ज्योति धुर्वे
*20. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
21. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
*22. श्री भाउसाहेब आर॰ वाकचौरे
*23. श्री श्रीपाद येसो नाईक
24. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
*25. श्री अर्जुन मेघवाल
*26. श्री जगदम्बिका पाल
*27. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 7.08 बजे

*(लोक सभा गुरुवार, 17 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 6.02 बजे से सायं 7.08 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7290LS(S3)—16-03-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**गुरुवार, 17 मार्च, 2011/26 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 153**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि बजट सत्र, 2010 के दौरान मैंने पहली बार गिलोटीन किए जाने वाले अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति दी थी। माननीय सदस्यों को इन कटौती प्रस्तावों के निपटान के समय उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों का भी स्मरण होगा।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित होगा, आज सभा में खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। शेष बचे बकाया मांगों के संबंध में गिलोटीन सायं 6 बजे किया जाएगा। बकाया मांगों पर कटौती प्रस्तावों के निपटान को सुकर बनाने के लिए मैं सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों, जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, से अनुरोध करती हूं कि वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उनके द्वारा गिलोटीन के समय पेश किए जाने वाले उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या इंगित हो। यह भी नोट किया जाए कि केवल उन्हीं सदस्यों को गिलोटीन के समय कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति दी जाएगी जिनकी पर्चियां इस घोषणा के 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हुई हों तथा केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों, जिनकी क्रम संख्या उन्होंने अपनी पर्चियों में इंगित की है, को पेश करने की अनुमति दी जाएगी।

गिलोटीन के समय जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उनके कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य इसमें कोई विसंगति पाते हैं तो वो इसे तुरंत सभा पटल अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों, जिन पर आज बाद में चर्चा होनी निर्धारित है, के कटौती प्रस्तावों का उल्लेख सभा पटल पर अभी भेजी जाने वाली पर्चियों में न करें। उन मांगों के संबंध में पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों के बारे में एक पृथक् घोषणा उस समय की जाएगी जब आज उन मांगों पर चर्चा होगी।''

पूर्वाह्न 11.03 बजे

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011-2012 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का परिणामी बजट।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16ख की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 408(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो पश्चिम बंगाल राज्य में ढेकलापारा चाय सम्पदा को चलाने अथवा पुन: शुरू करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(5) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2011–2012 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2011–2012 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2011–2012 के लिए पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

(11) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009–2010 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लान्ट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लान्ट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 23/17/2009-आर एण्ड आर जो 22 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित टैरिफ नीति के पैरा 6.4 और 6.4(एक) के शीर्षक में संशोधन किए गए हैं।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानि का बटवारा) विनियम, 2010 जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 जो 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 जो 24 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीईआई-1/59/सीईए/ईआई में प्रकाशित हुए थे।

(30) उपर्युक्त (29) की मद संख्या (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#(31) वर्ष 2011-2012 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

#सायं 6.00 बजे।

**(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.19 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

**3. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी कदम को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में नंदा देवी पर्वत के ढलानों में कथित रूप से खो गए नाभिकीय ईंधन से चलने वाले पॉवर पैक जिससे विकिरण का गंभीर खतरा है, को ढूंढ़ने तथा पुन: प्राप्त कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डा॰ विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू' द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले को रेल सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा जहीराबाद और सिकन्दराबाद होते हुए बीदड़ (कर्नाटक) से हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना स्कीमों को उनके वर्तमान प्ररूप में लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जयवंतराव गंगाराम आवले द्वारा महाराष्ट्र में काटन यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा हथकरघा और पॉवरलूम उद्योगों के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* पूर्वाह्न 11.05 बजे से पूर्वाह्न 11.19 बजे तक और मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 12.12 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के व्यथित किसानों के कल्याण के लिए एक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा उत्तर मध्य रेलवे जोन में महोबा-खजुराहो रेलवे लाइन के चेन नं॰ 1306 और 1307 के बीच चौकीदार युक्त रेलवे फाटक प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा गुजरात को पर्याप्त मात्रा में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एपीएम गैस का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री हरिश्चंद्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि करने तथा कामायनी एक्सप्रेस को नंदगांव, लस्लगांव, निफड रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिलिया मोटा में उर्वरकों के परिवहन के लिए रेल रैकों की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गजानन ध॰ बाबर द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर विनायक दामोदर की जीवनियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और सायं 6.00 बजे पुन: समवेत हुई)*

सायं 6.00 बजे

**4. बजट (सामान्य)—2011-2012—अनुदानों की मांगें**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, सुबह से सभा में जो स्थिति बनी हुई है उसमें खान मंत्रालय एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा करना संभव नहीं हो पाया है। वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा कराना मेरा दायित्व है। बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखने से पहले मैं खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर श्री शेख सैदुल हक द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्तावों का निपटान करूंगी। तत्पश्चात्, मैं श्री पी॰के॰ बिजू, जो बकाया मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, को कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊंगी।''

खान मंत्रालय के संबंध में मांग संख्या 66 पर कटौती प्रस्ताव संख्या 25 से 27 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए सभा में मतदान के लिए रखी गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:—

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3.

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5.

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8.

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9.

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10.

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12.

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15.

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 और 17.

(9) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18.

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19.

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27.

(12) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28.

(13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29.

(14) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30.

(15) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32, 33, 35, 36, 38 से 44.

(16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45.

(17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 49.

(18) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 और 51.

(19) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100.

(20) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57.

(21) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 59.

(22) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60.

(23) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61.

(24) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63.

(25) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65.

(26) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66.

(27) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67.

(28) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68.

(29) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69.

(30) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70.

(31) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71.

(32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72.

(33) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73.

(34) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74.

(35) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75.

(36) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 77.

(37) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 78.

(38) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 80.

(39) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81.

(40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 से 87.

(41) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88.

(42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89.

(43) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 90.

(44) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91.

(45) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92.

(46) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93.

(47) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94.

(48) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95.

(49) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101 से 103.

(50) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104.

(51) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105.

(52) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106.

सायं 6.09 बजे

**5. सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित**

*विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011*

**6. सरकारी विधेयक – पारित**

*विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011*

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.12 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार,* 18 *मार्च,* 2011 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—7330LS(S3)—17-03-2011.

# लोक सभा

---

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

**शुक्रवार, 18 मार्च, 2011/27 फाल्गुन, 1932 (शक)**

---

**संख्या 154**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए पर्यटन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2011-2012 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2010-11 का संख्यांक 31)।

(दो) मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2010-11 का संख्यांक 26)।

(तीन) राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग के कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) (2010-11 का संख्यांक 21)।

(चार) मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (संघ सरकार के लेखा) (वर्ष 2010-11 का संख्यांक 1)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखा (रक्षा सेवाएं)।

(दो) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार वित्त लेखा।

(तीन) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखा (सिविल)।

(चार) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखा (डाक सेवाएं)।

(8) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और उद्ग्रहण तथा इंजरी का अभिनिर्धारण) नियम, 1995 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 332(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 74/2000-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

**2. राष्ट्रपति का संदेश**

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें माननीया राष्ट्रपति का 3 मार्च, 2011 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

''मुझे 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद के उद्‌गार प्राप्त हुए हैं।''

**3. सभा की बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि जैसा कि 17 मार्च, 2011 के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, सोमवार, 21 मार्च, 2011 के लिए नियत बैठक रद्द कर दिया जाए।

आशा है, सभा इससे सहमत होगी।''

सभा सहमत हुई।

**4. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'पारेषण और वितरण प्रणालियां तथा नेटवर्क' के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'नवीन और नवीकरणीय परियोजनाओं का वित्तपोषण' के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'लघु और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं' के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

**5. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री यशवंत सिन्हा ने 'बीपीएल मानदंड का मूल्यांकन' विषय पर वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**#6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

**7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 22 मार्च, 2011 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

***8. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित**

*दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011.*

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.15 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 12.17 बजे

**9. सरकारी विधेयक—पारित**

*दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011.*

श्री कमलनाथ द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कमलनाथ द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.19 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन:समवेत हुई।)*

---

#अपराह्न 12.15 बजे।

*पूर्वाह्न 11.03 बजे

अपराह्न 2.00 बजे

**10. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य**

प्रधानमंत्री ने वोट के लिए रुपये का भुगतान संबंधी समाचारपत्र के रिपोर्ट के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.31 बजे पुन:समवेत हुई।)*

अपराह्न 3.31 बजे

**11. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन**

डॉ॰ भोला सिंह द्वारा 21 अगस्त, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निपटने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे।''

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)*

अपराह्न 3.33 बजे

*(लोक सभा मंगलवार, 22 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—7366LS(S3)—18-03-2011.

# लोक सभा

## समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

**मंगलवार, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 (शक)**

**संख्या 155**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्यूरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्यूरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2011-2012 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰ आ॰ 2780(अ) जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 49(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰ आ॰ 255(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, बिहार का गठन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰ आ॰ 254(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, पंजाब का गठन किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰ आ॰ 2646(अ) जो 26 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश का गठन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰ आ॰ 2551(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का गठन किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰ आ॰ 2402(अ) जो 4 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, कर्नाटक का गठन किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰ आ॰ 1803 (अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, गुजरात का गठन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰ आ॰ 1333 (अ) जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल का गठन किए जाने के बारे में है।

(27) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011 जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विधिक मापविज्ञान (परिकलन) संशोधन नियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विधिक मापविज्ञान (परिकलन) नियम, 2011 जो 10 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 जो 9 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 3313(अ) जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 31 दिसम्बर, 2009 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किए जाने के बारे में है जिसको दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008, के उपबंध, सिवाय धारा 5, धारा 6 और धारा 21 के खण्ड (ख) के प्रवृत्त होंगे।

(तीन) का॰आ॰ 2687(अ) जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 1 नवम्बर, 2010 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किए जाने के बारे में है जिसको दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 5, धारा 6 और धारा 21 के खंड(ख) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(34) उपर्युक्त (33) की मद (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 71 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2216(अ) जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त को उनके कार्यभार के अंतर्गत पुलिस सबडिवीजन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) वर्ष 2011-2012 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) वर्ष 2011-2012 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाईन, ट्रेड मार्क एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाईन, ट्रेड मार्क एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायुसेना और नौसेना (2010-11 का संख्यांक 32)—भारतीय नौसेना जलपोतों के स्वदेशीय निर्माण की निष्पादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1992-1993 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1992-1993 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**2. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 123वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन**

महासचिव ने 4 से 6 अक्तूबर, 2010 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 123वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती मेनका गांधी ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध के संबंध में 12वां और 13वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों के संबंध में 14वां प्रतिवेदन।

**4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) 'गायों की संख्या में गिरावट' के बारे में श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री हरीश चौधरी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के संबंध में 17.08.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) वक्तव्य देने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य दिया।

**5. प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 18 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से, उसके पैराग्राफ 2 की मद (1) और पैराग्राफ 3 को छोड़कर, जिसका निपटान सभा में किया जा चुका है, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

**6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*(एक) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011*

*(दो) संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011*

*पूर्वाह्न 11.30 बजे

**7. सदस्यों द्वारा निवेदन — लीबिया पर आक्रमण के बारे में**

निम्नलिखित सदस्यों ने लीबिया पर आक्रमण के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री बसुदेव आचार्य
3. श्री गुरुदास दासगुप्त
4. श्री शरद यादव
5. डॉ॰ महबूब बेग
6. श्री शरीफुद्दीन शारिक
7. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
8. श्री दारा सिंह चौहान
9. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री भर्तृहरि महताब

सर्वश्री यशवंत सिन्हा, ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर तथा नामा नागेश्वर राव भी सहयोजित हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.49 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई)*

---

*पूर्वाह्न 11.07 बजे से पूर्वाह्न 11.49 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.30 बजे

**8. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान के चंबल कमान क्षेत्र तथा कोटा बराज की नहरों की मरम्मत के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में अंदरौत में तीसरे चरण के ब्रेक वाटर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री लालचन्द कटारिया द्वारा राजस्थान के जयपुर में सांभर झील को अतिक्रमण से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृत्रिम निषेचन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा सऊदी अरब की जेल में कैद भारतीय नागरिकों को रिहा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हीरा खनन परियोजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्नो लैपर्ड के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की स्नो लैपर्ड परियोजना को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीरावाड़ा रेलवे स्टेशन को गांभोई में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोस द्वारा गुजरात में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत रोगियों की शल्य-चिकित्सा के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री नीरज शेखर द्वारा देश में किसानों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा देवरिया से बरहज, बडहलगंज होते हुए मऊ तक एक रेलवे लाईन का निर्माण करने तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री मोहन जेना द्वारा उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर सड़क पर एक नया रेल मंडल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में किसानों को बीजों की उपलब्धता सुकर बनाने के लिए बीज बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.32 बजे

**9. सरकारी विधेयक — पारित**

वित्त विधेयक, 2011

लिया गया समय: 4 घंटे 15 मिनट

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डा॰ के॰ एस॰ राव

*(लोक सभा अपराह्न* 1.11 *बजे स्थगित हुई और* अपराह्न 2.19 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.19 बजे

2. श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
6. श्री खगेन दास
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री भक्त चरण दास
9. श्री जे॰ पी॰ अग्रवाल
10. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
11. चौधरी लाल सिंह
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री वी॰ अरुण कुमार
14. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
15. श्री दारा सिंह चौहान
16. श्री मदन लाल शर्मा
17. श्री ओम प्रकाश यादव
18. श्री फ्रांसिस्को सारदीना

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 1 को लागू करने के संबध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 7क के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 7क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 37 स्वीकृत हुए।

खण्ड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42 से 46 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 46क के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 46क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 से 54 स्वीकृत हुए।

खण्ड 55, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 55क के अंत:स्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 55क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 56 से 58 स्वीकृत हुए।

खण्ड 59, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 60, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 61 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 62, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 63 और 64 स्वीकृत हुए।

खण्ड 65, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 66 से 70 स्वीकृत हुए।

खण्ड 71 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 72 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 73, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 74 से 76 स्वीकृत हुए।

पहली से दसवीं अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

ग्यारहवीं अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

बारहवीं और तेरहवीं अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

*सायं 6.35 बजे

*(लोक सभा बुधवार, 23 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**

महासचिव।

---

*सायं 5.55 बजे से सायं 6.35 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7423LS(S3)—22-03-2011.

# लोक सभा

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

**बुधवार, 23 मार्च, 2011/2 चैत्र, 1933 (शक)**

**संख्या 156**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए, की शहादत की अस्सीवीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 217(अ) जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के उपबंधों का भेषज से भिन्न 10 उद्योगों पर विस्तार किया गया है, की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 3 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 471(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ है।

(4) (एक) वी॰ वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰ वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 953(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पंद्रहवां संशोधन नियम, 2010, जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 954(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2010, जो 17 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियम, 2010, जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2010, जो 27 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212 में प्रकाशित हुए थे।

(9) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् के लिए निर्वाचन) संशोधन नियम, 2011 जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 104(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2011 जो 4 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी॰ डब्ल्यू॰ आर॰ (1) 2010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या ई॰ एल॰-2011/1 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों की तारीखों तथा अन्य विषयों के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या ई॰ एल॰-2011/2 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों के बारे में है।

(पांच) अधिसूचना संख्या ई॰ एल॰-2011/3 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों के बारे में है।

(छह) अधिसूचना संख्या ई॰ एल॰-2011/4 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में है।

(सात) अधिसूचना संख्या ई० एल०-2011/5 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों तथा चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों हेतु शुल्क के संदाय के बारे में है।

(आठ) अधिसूचना संख्या ई० एल०-2011/6 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की परिषद् के लिए निर्वाचनों हेतु प्रतिभूति निक्षेप के संदाय के बारे में है।

(नौ) अधिसूचना संख्या ई० एल०-2011/7 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो लागत और संकर्म लेखा (परिषद् के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (4) के प्रयोजनार्थ अर्हताओं की मान्यता के बारे में है।

(दस) अधिसूचना संख्या ई० एल०-2011/8 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान की अठाहरवीं परिषद् तथा चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों हेतु विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची (मतदाता सूची) को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या ई० एल०-2011/9 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचनों हेतु उसमें उल्लिखित उम्मीदवार द्वारा खर्च किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा के नियतन के बारे में है।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का०आ० 300(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-छह के भाग-एक की धारा 211(4) के अंतर्गत कंपनियों को सामान्य छूट के बारे में है।

(दो) का०आ० 301(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-छह के भाग-दो की धारा 211(4) के अंतर्गत कंपनियों को सामान्य छूट के बारे में है।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 70(अ) जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची तेरह में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/138/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रत्येक पात्र व्यक्ति द्वारा अपना नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 4 के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए, उसमें उल्लिखित, संदेय शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/139/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी सदस्य द्वारा संस्थान के फेलो के रूप में रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए, उसमें उल्लिखित, संदेय शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/140/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी सदस्य द्वारा प्रैक्टिस के अपने प्रमाणन के लिए, उसमें उल्लिखित, संदेय शुल्क के कतिपय शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/141/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी सदस्य द्वारा उसमें उल्लिखित, संदेय वार्षिक सदस्यता शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(पांच) अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/142/2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो ऐसे सदस्यों द्वारा, उसमें उल्लिखित, वार्षिक शुल्क तथा प्रवेश शुल्क के बकायों सहित संदेय अतिरिक्त शुल्क के 1 अप्रैल, 2011 से अवधारण के बारे में है।

(24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**3. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 22 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 2011 को यथापारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

**डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी** ने लोक लेखा समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित 'कर के कम उद्ग्रहण, उत्पाद-शुल्क योग्य माल के गलत वर्गीकरण और निर्यात बाध्यता को पूरा न किए जाने के कारण राजस्व की हानि' के बारे में समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'बाघ अभयारण्य में बाघों का संरक्षण और सुरक्षा' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

**5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

**श्री दीप गोगोई ने** जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) रक्षा मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित "देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण" के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 218वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

**7. ध्यानाकर्षण**

**श्री एल॰ राजगोपाल** ने आंध्र प्रदेश के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

पूर्वाह्न 11.34 बजे

**8. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सतपाल महाराज द्वारा मौजूदा डाक बैलट प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावकारी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली द्वारा आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भावनापाडु गांव में मत्स्यन बंदरगाह स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा सैटेलाइट शहरों में केन्द्रीय प्रायोजित शहरी अवसंरचना विकास योजना में नागपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री गणेश सिंह द्वारा छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सतना शहर के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और अकबरपुर के बीच बिन्दकी-खजुहा-जहानाबाद तथा सिकन्दराबाद से होकर गुजरने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री महेश्वर हजारी द्वारा बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पुलों और सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पुलीन बिहारी बासके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को सुदृढ़ करने और चौरंगी (पश्चिम बंगाल) तथा जमशेदपुर (झारखंड) के बीच तथा उड़ीसा के बहारागौड़ा से गुजरने वाले इस राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ संजीव गणेश नाईक द्वारा मुंबई तट पर दो जहाजों की टक्कर के पश्चात् समुद्र में गिरे कंटेनर जिसमें रसायन और नाशकजीवमार हैं, को निकाले जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री जयंत चौधरी द्वारा डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

**9. नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 4 घंटे 34 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने 'वोट के बदले कैश' के भुगतान के बारे में अखबार की रिपोर्ट के संबंध में 18 मार्च, 2011 को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री पवन कुमार बंसल

*(लोक सभा अपराह्न 1.37 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.19 बजे पुन: समवेत हुई।)*

**अपराह्न 2.19 बजे**

3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री शरद यादव
6. श्री बसुदेव आचार्य
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. श्री अजीत सिंह

10. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
11. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
12. डॉ॰ महबूब बेग
13. श्री असादूद्दीन ओवेसी
14. श्रीमती पुतुल कुमारी
15. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
16. श्री यशवंत सिन्हा
17. श्री कपिल सिब्बल

डॉ॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.54 बजे

**10. सरकारी विधेयक — विचाराधीन**

*वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010*

आवंटित समय: 3 घंटे
लिया गया समय: 1 घंटा 41 मिनट
शेष: 1 घंटा 19 मिनट

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निनोंग ईरींग
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री विजय बहादुर सिंह
4. श्री शेख सैदुल हक
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री प्रबोध पांडा
7. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.35 बजे

**11. आधे घंटे की चर्चा**

श्री राजू शेट्टी ने पर्यटन मंत्री द्वारा 25 फरवरी, 2011 को पर्यटन नीति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 61 के संबंध में दिए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा उठाई।

श्री सुबोध कांत सहाय ने इस चर्चा का उत्तर दिया।

*रात्रि 7.13 बजे

**12. सदस्यों द्वारा निवेदन**

*(एक) विदेशों में सिक्खों के मुद्दों जिनके कारण विश्वभर में सिक्खों के साथ व्यापक भेदभाव हुआ, के बारे में*

डॉ॰ रतन सिंह अजनाला ने विदेशों में सिक्खों के मुद्दों जिनके कारण विश्वभर में सिक्खों के साथ व्यापक भेदभाव हुआ, के बारे में निवेदन किया।

श्री अर्जुन मेघवाल सहयोजित हुए।

श्री ई॰ अहमद ने उत्तर दिया।

*(दो) लिबिया से भारत लौटे भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री एंटो एंटनी ने लिबिया से भारत लौटे भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री ई॰ अहमद ने उत्तर दिया।

रात्रि 8.24 बजे

*(लोक सभा गुरुवार, 24 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*रात्रि 7.13 बजे से रात्रि 8.24 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7467LS(S3)—23-03-2011.

# लोक सभा

**समाचार—भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

**गुरुवार, 24 मार्च, 2011/3 चैत्र, 1933 (शक)**

**संख्या 157**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 27) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2011-2012 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 37(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड—संयुक्त उपक्रम प्रचालनों की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 28) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 14(अ) जो 12 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 24 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 99(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत गोवा राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा का उपापन) विनियम, 2010 जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-14/2010 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 19 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या जेईआरसी-19/14/2010 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**3. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 23 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 मार्च, 2011 को पारित बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 23 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 मार्च, 2011 को पारित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

*(तीन) कि राज्य सभा ने 24 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 नवम्बर, 2010 को संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 संशांधनों सहित पारित किया तथा इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों के लिए लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

*(चार) कि राज्य सभा ने 24 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 नवम्बर, 2010 को उड़ीसा (नाम परिवर्तन), विधेयक, 2011 संशोधनों सहित पारित किया तथा इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों के लिए लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

---

***4. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक — सभा पटल पर रखे गए**

महासचिव ने राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा:—

*(एक) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010*

*(दो) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011*

**5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने ''राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग—इसके अधिदेश और उपलब्धियां—इसके संगठन और कार्यकरण की समीक्षा'' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के चौथे और पांचवें (की-गई-कार्यवाही) प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत किया।

---

*अपराह्न 5.42 बजे।

**8. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

**9. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'मानव संसाधन आयोजना, जनशक्ति की कमी, सशस्त्र बलों के लिए हाई-टेक प्रशिक्षण और अवसंरचना की व्यवस्था के संबंध में 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का दसवां प्रतिवेदन।

(2) 'देश के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 11वां प्रतिवेदन।

**10. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'वर्ष 2007-08 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति (14वीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट—रक्षा प्रबंधन का एक विशेष उल्लेख के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुधार संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की समीक्षा के संबंध में समिति (14वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'वर्ष 2008-2009 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति (14वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में समिति (14वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'रक्षा और संबद्ध सेवाओं में विवाहितों के आवास की स्थिति के बारे में समिति (14वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा)

के तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(6) 'सशस्त्र बलों में तनाव प्रबंधन के संबंध में समिति (14वीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(7) 'रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण-सरकारी निजी भागीदारी के संबंध में समिति (14वीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(8) 'वर्ष 2009-10 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति (15वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

**11. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के 'बीड़ी कर्मकारों का कल्याण' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) पोत परिवहन मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने 'समुद्री जहाजों को लूटा जाना' के बारे में सर्वश्री के॰डी॰ देशमुख, अब्दुल रहमान और पी॰ विश्वनाथन, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1710 के संबंध में 7.3.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य दिया।

(2) पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

**13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

(एक) *पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011*

श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री नमोनारायन मीणा ने विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश किया।

इस प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ। हां, 122; नहीं 50। तद्नुसार, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(दो) *आढ़ती विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक, 2011*

*पूर्वाह्न 11.59 बजे

**14. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*पूर्वाह्न 11.30 बजे से पूर्वाह्न 11.59 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा सुलभ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री दत्ता मेघे द्वारा दैनिक प्रयोग की खाद्य मद्यों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के अपमिश्रण तथा उनको कम तोलने की प्रक्रिया में शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में यादागिरीगुट्टा से हैदराबाद तथा वारंगल से गोदावरी पुल सड़कों को चार लेन वाली सड़कों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पी॰टी॰ थामस द्वारा केरल में निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र के तथा सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति को वापिस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात सरकार द्वारा राज्य में वन भूमि पर आदिवासी लोगों के अधिकारों के बारे में प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में संथाल परगना के समग्र विकास के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा औषधियों के अत्यधिक मूल्य को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री धनंजय सिंह द्वारा देश में न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती अश्वमेघ देवी द्वारा बिहार के उजियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव तथा मरम्मत कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गजानन ध० बाबर द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता मांगने वाले सभी रोगियों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एन० चेलुवरया स्वामी द्वारा कर्नाटक में बेंगलुरू तथा नीलामंगला के बीच छह लेन वाली सड़क तथा नीलामंगला एवं हासन के बीच चार लेन वाली सड़क के निर्माण कार्य में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ० महबूब बेग द्वारा मृत्यु दंड पर स्पष्ट नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.02 बजे

**15. सरकारी विधेयक चर्चा — आस्थगित**

श्री पवन कुमार बंसल के अनुरोध पर, वैज्ञानिक तथा नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 पर आगे चर्चा आस्थगित की गई। सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.06 बजे

**16. सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 2 घंटे 53 मिनट

*प्रोद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010*

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मेघवाल
2. डॉ० थोकचोम मैन्या
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री शेख सैदुल हक
6. डॉ० बलीराम
7. डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
8. श्री प्रबोध पांडा
9. श्री प्रशांत कुमार मजुमदार

10. श्री सुरेश अंगड़ी
11. श्री पी॰टी॰ थॉमस
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री पी॰डी॰ राय
14. श्री रामकिशुन
15. श्री मोहन जेना
16. श्री निशिकांत दुबे
17. श्री भक्त चरण दास
18. श्री धनंजय सिंह
19. श्री जनार्दन स्वामी
20. श्री इज्यराज सिंह
21. डॉ॰ के॰एस॰ राव

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4, स्वीकृत हुआ

खंड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 6, स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 9, स्वीकृत हुआ।

खंड 10, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 2.59 बजे

**17. नियम 193 के अधीन चर्चा**

(एक) *श्री शेख सैदुल हक ने देश में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक चर्चा उठाई*

लिया गया समय: 3 घंटे 57 मिनट

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मोहम्मद मौलाना असरारुल हक
2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
3. श्री धर्मेन्द्र यादव
4. डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. डा॰ मोनाजिर हसन
7. श्री चंद्रकांत खैरे
8. श्री संजय सिंह चौहान
9. श्री प्रबोध पांडा
10. श्री असादूद्दीन ओवेसी
11. श्री संजय दिना पाटील
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री जगदम्बिका पाल
14. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
15. चौधरी लाल सिंह
16. श्री राजाराम पाल
17. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

18. श्री अर्जुन मेघवाल
19. श्री रामकिशुन
20. डॉ॰ बलीराम

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.56 बजे

(दो) *श्री गुरुदास दासगुप्त ने सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण कामकाजी वर्ग के बीच व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाई*

अनुज्ञेय समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 01 मिनट
शेष समय: 01 घंटा 59 मिनट

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.57 बजे

**18. आधे घंटे की चर्चा**

श्रीमती ज्योति धुर्वे ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 222 के वित्त मंत्री द्वारा 11 मार्च, 2011 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों के बारे में एक चर्चा उठाई।

श्री नमोनारायण मीणा ने चर्चा का उत्तर दिया।

*रात्रि 8.12 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार, 25 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

---

*सायं 7.35 बजे से रात्रि 8.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—7506LS(S3)—24-03-2011.

# लोक सभा

---

**समाचार —भाग 1**

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**शुक्रवार, 25 मार्च, 2011/4 चैत्र, 1933 (शक)**

---

**संख्या 158**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस॰ बेंजामिन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

**2. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-2011 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2011-2012 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखत पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5)(एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9)(एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्टरी ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसॉफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्टरी ऑफ इंडियन साइंस, फिलोसॉफी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—

(एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा।

(12) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2011-2012 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2011-2012 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 473(अ) जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है जो विलुप्तप्राय हैं अथवा निकट भविष्य में जिनके विलुप्त हो जाने की संभावना है तथा जो उनके संग्रहण का निषेध अथवा विनियमन किए जाने तथा इन प्रजातियों के पुनर्वास हेतु कदम उठाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वर्ष 2011-2012 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 जो 8 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 71(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक मापविज्ञान (प्रतिमानों का अनुमोदन) नियम, 2010 जो 4 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) पीईसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(23) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (छठा संशोधन) नियम, 2010 जो 16 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 982(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन और व्याख्यात्मक टिप्पण।

(24) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन हेतु अनुदान) विनियम, 2010 जो 12 फरवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 37/3/लीगल/2010 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 37/3/लीगल/2008 जो 22 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का गठन और कृत्य) विनियम, 2008 का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम क्षेत्र) मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61)(एक) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा सीमक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, ल्यूमामी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, ल्यूमामी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(86) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(91) उपर्युक्त (90) के (दो) में उल्लिखित वार्षिक लेखाओं के विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ॰ 47-49/2009/एनसीटीई/सीडीएन(पीटी) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रोफेसर जे॰सी॰ सोनी के पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ॰ 47-49/2009/एनसीटीई/सीडीएन जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर के समापन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ॰ 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एन एण्ड एस) जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो किसी विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं के बारे में है।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस तथा अन्य फीस के विनियमन हेतु दिशानिर्देश) संशोधन विनियम, 2010 जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 51-3/2009/पीटी/एनसीटीई/(एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) उपर्युक्त (108) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन॰(जी)/ऑर्ड॰ 5/2009/1978 जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/डिग्रियों की मान्यता के बारे में अध्यादेश (अध्यादेश 5) के खंड 1(v) के अंतर्गत संशोधन से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) उपर्युक्त (111) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 23)—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

(दो) अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 24)—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सीमा शुल्क)।

(तीन) निर्माण सेवाओं पर सेवाकर की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 25)—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सेवा कर)।

(चार) अनुपालन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 29)—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सेवा कर)।

(पांच) सेनवेट क्रेडिट स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 30)–संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)।

(छह) फिल्म और टेलीविजन उद्योग में संलग्न निर्धारितियों के कराधान के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 36)—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर)।

(114) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) उपर्युक्त (114) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) उपर्युक्त (116) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 22 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3946 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत रक्षा सम्पदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2010-11 का संख्यांक 35) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2704(अ) जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2706(अ) जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 314(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 139(अ) जो 20 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(121) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2705(अ) जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के रेवा-कटनी खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰आ॰ 313(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के पनवेल-इन्दापुर खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(तीने) का॰आ॰ 315(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के भाग (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से सावनेर तक) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰आ॰ 138(अ) जो 20 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(122) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(123) उपर्युक्त (122) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) वर्ष 2011-2012 के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) उपर्युक्त (125) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) (एक) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज (एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज (एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज (एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) उपर्युक्त (127) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) (एक) इंडियन फार्मोकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्मोकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(130) उपर्युक्त (129) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(131) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(132) उपर्युक्त (131) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(133) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(134) उपर्युक्त (133) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(135) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 82(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत, उसमें उल्लिखित कतिपय ओषधियों के निर्माण, विक्रय और वितरण का प्रतिषेध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(136) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 से 2008-2009 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(137) उपर्युक्त (136) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(138) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(139) उपर्युक्त (138) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(140) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) उपर्युक्त (140) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(142) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(143) उपर्युक्त (142) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(144) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004-2005 से 2009-2010; एमएनजेआईओ, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010; आरसीसी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2007-2008 से 2009-2010 और उनमें उल्लिखित 15 अन्य संस्थाओं के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(145) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 18 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 101(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(146) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(147) उपर्युक्त (146) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(148) वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 तक के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के परिणामी बजटों के शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(149) वर्ष 2011-2012 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(150) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(151) उपर्युक्त (150) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(152) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(153) उपर्युक्त (152) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(154) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(155) उपर्युक्त (154) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(156) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(157) उपर्युक्त (156) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(158) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(159) उपर्युक्त (158) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(160) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(161) उपर्युक्त (160) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(162) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(163) उपर्युक्त (162) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(164) (एक) अधरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अधरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(165) उपर्युक्त (164) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(166) (एक) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(167) उपर्युक्त (166) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(168) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(169) उपर्युक्त (168) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(170) (एक) नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज़, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(171) उपर्युक्त (170) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(172) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(173) उपर्युक्त (172) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(174) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(175) उपर्युक्त (174) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(176) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(177) उपर्युक्त (176) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(178) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(179) उपर्युक्त (178) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(180) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(181) उपर्युक्त (180) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(182) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(183) उपर्युक्त (182) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**3. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 17 मार्च, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 22 मार्च, 2011 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2011 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

**4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश**

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान आयोजित तेरहवीं से सोलहवीं बैठकों के कार्यावाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

**5. प्राक्कलन समिति के विवरण**

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के बारे में प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उनके छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला प्राक्कलन समिति का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठन'' के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 38वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2008-09 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 41वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2009-10 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के 7वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2009-10 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के 8वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

**7. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

**8. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) *लोक सभा में, शुंगलु समिति, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताओं की जांच की, के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की मांग के बारे में*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोक सभा में, शुंगलु समिति, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताओं की जांच की, के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की मांग के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

*(दो) *जाति आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय लिए जाने के बारे में*

---

*अपराह्न 12.11 बजे।

श्री मुलायम सिंह यादव ने जाति आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय लिए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

**9. ध्यानाकर्षण**

(एक) श्री एच॰डी॰ देवेगौड़ा ने येलो लीफ रोग से प्रभावित अरेकानट फसल की क्षति के कारण चिकमगलूर जिले में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

(दो) श्री गुरुदास दासगुप्त ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण की सरकार की पहल से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वित्त मंत्री ने इस बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

पूर्वाह्न 11.55 बजे

**10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011*

पूर्वाह्न 11.56 बजे

**11. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य

सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ चार्ल्स डिएस द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री के॰ पी॰ धनपालन द्वारा केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के आक्रमण से लोगों को संरक्षण देने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा बाराबंकी जिलों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा जस्टिस ऊषा मेहरा कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुरेश काशीनाथ तवारे द्वारा महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए एक वित्तीय पैकेज शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू द्वारा तिरूनेलवेली (तमिलनाडु) से अम्बासमुद्रम-पापनाशम और नेदूमंगाडू होते हुए तिरूवनंतपुरम (केरल) को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य बीमा योजना को एक राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा गुजरात में गैस आधारित उद्योगों को ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस के आवंटन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा शहरी सहकारी बैंक, बीकानेर, राजस्थान के ग्राहकों के खातों के निपटान में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील द्वारा देश में गरीबों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में खाद्य मदों के अत्यधिक अपमिश्रण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*पूर्वाहन 11.57 बजे

**12. सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय: 13 मिनट

*सिक्का-निर्माण विधेयक, 2009*

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 से 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 से 22 स्वीकृत हुए।

खण्ड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 और 26 स्वीकृत हुए।

खण्ड 27, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

---

*अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.16 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.16 *बजे स्थगित हुई और अपराहन* 1.00 *बजे पुन: समेवत हुई।)*

अपराह्न 1.00 बजे

**13. नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 4 घंटे 14 मिनट

श्री शेख सैदुल हक द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के उत्थान की आवश्यकता के बारे में 24 मार्च, 2011 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

श्री सलमान खुर्शीद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 1.17 बजे

**14. विदाई संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने 15वीं लोक सभा के सातवें सत्र की समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराह्न 1.27 बजे

**15. राष्ट्रीय गीत**

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 1.29 बजे

*(लोक सभा अपराह्न* 1.29 *बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)*

**टी॰ के॰ विश्वानाथन,**
महासचिव।

GMGIPMRND—7521LS(S3)—25-03-2011.